विद्यालयों में कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों को सड़क-सुरक्षा के प्रति जागरूक करने सम्बन्धित पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु

विषय : सड़क सुरक्षा 'एक पहल'

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

रणवीर सिंह चौहान
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

परिवहन आयुक्त कार्यालय,
कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
दूरभाषः0135–2606107
फैक्सः2608108

संदेश

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से "**सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तिका**" का प्रकाशन किया जा रहा है।

विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राएं व अध्यापक इस जिम्मेदारी का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः छात्र छात्राओं को विद्यालयी स्तर से यातायात नियमों की जानकारी दिया जाना अनिवार्य किया जाना आवश्यक है जिससे बाल्यावस्था से ही उनमें यातायात नियमों की जानकारी एवं जागरूकता को आदत के रूप में विकसित किया जा सके ताकि सड़क, प्रत्येक प्रयोक्ता हेतु सुरक्षित बन सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में भी दुर्घटनाओं के निवारण व नियन्त्रण हेतु सड़क एवं यातायात सम्बन्धी नियमों की शिक्षा को मुख्य उपाय माना गया है।

अतः स्कूली विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा सम्बन्धित जानकारी पर क्रमबद्ध तथा समेकित रूप से जोर दिया जाना साथ ही समय–समय पर अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना अति आवश्यक है जिससे उन्हें सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति न केवल जागरूक अपितु संवेदनशील भी बनाया जा सके। ऐसी शिक्षा से आने वाले वर्षों में यही विद्यार्थी सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होकर इस जानकारी को सर्वव्यापी करने के माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।

अतः इसी प्रयास में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा गठित समिति के सड़क सुरक्षा विषय के गहन अध्ययनोपरान्त स्कूली विद्यार्थियों हेतु यह पाठ्यक्रम तैयार कर प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में हो रही जनहॉनि की गम्भीरता के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धाराओं में संशोधन करते हुये सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन व वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों हेतु कठोर दंड का प्राविधान भी किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सितम्बर, 2019 में संशोधित अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं प्रशमन शुल्क को राज्य में लागू करते हुये पुस्तिका में संकलित किया गया है।

मैं पूर्ण रूप से आशान्वित हूं कि इस पुस्तिका के अध्ययन से स्कूली छात्र–छात्राओं एवं जन सामान्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता का विकास होगा तथा राज्य में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(रणवीर सिंह चौहान)
परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

प्रस्तावना

समाज के विकास में सड़क की भूमिका सदैव ही रही है। जब कभी कोई गांव या क्षेत्र सड़क से जुड़ा है तो उसने क्षेत्र के विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया है। सड़कों पर बढते हुये यातायात तथा यातायात सम्बन्धित नियमों एवं जानकारियों के अभाव ने सड़क पर चलने तथा वाहन का संचालन करते सड़क प्रयोक्ता की सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट क अनुसार, विश्व भर में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 10 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं विश्व की स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वाधिक जटिल समस्याओं में से एक है। इस समस्या की विडम्बना यह है कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित लोगों में आमतौर से काम करने वाली युवा आबादी सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। सड़क प्रयोग, सड़क नियम तथा सड़क सुरक्षा उपाय के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता इन सड़क हादसों को रोकने का सर्वोत्तम माध्यम है।

अतः प्रत्येक सड़क प्रयोक्ता– पैदल यात्री, साईकिल सवार, टू–व्हीलर मोटरयान, चार पहिया मोटरयान तथा अन्य भारी मोटरवाहन चालक को यातायात से सम्बन्धित नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। यद्यपि मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न विभाग इस सन्दर्भ मे विभिन्न कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न अभियोगों में चालान भी किये जाते ह। तथापि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहें है। यदि हम सुरक्षित यातायात के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें तो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले जान–माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

इस दिशा में यह प्रयत्न किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारियों को समाज की मूलभूत जानकारियों में समावेश किये जाने का प्रयास किया जाय। चूंकि समाज की प्रारंभिक इकाई हमारे बच्चे हैं जिनके दैनिक जीवन में सड़क सुरक्षा की जानकारियों को समावेशित कर उन्हें यातायात नियमों को पालन किये जाने तथा अन्य को इस सम्बन्ध में जागरूक किये जाने के प्रति कर्तव्य बोध कराया जा सकता है।

विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राएं व अध्यापक इस जिम्मेदारी का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः छात्र छात्राओं को विद्यालयी स्तर से यातायात नियमों की जानकारी दिया जाना अनिवार्य किया जाना आवश्यक है जिससे बाल्यावस्था से ही उनमें यातायात नियमों की जानकारी एवं जागरूकता को आदत के रूप में विकसित किया जा सके ताकि सड़क प्रत्येक प्रयोक्ता हेतु सुरक्षित बन सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में भी दुर्घटनाओं के निवारण व नियन्त्रण हेतु सड़क एवं यातायात सम्बन्धी नियमों की शिक्षा को मुख्य उपाय माना गया है।

अतः स्कूली विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा सम्बन्धित जानकारी क्रमबद्ध तथा समेकित रूप से जोर दिया जाना साथ ही समय–समय पर अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना अति आवश्यक है जिससे उन्हें सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति न केवल जागरूक अपितु संवेदनशील भी बनाया जा सके। ऐसी शिक्षा से आने वाले वर्षों में यही विद्यार्थी सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होकर इस जानकारी को सर्वव्यापी करने के माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।

अतः इसी प्रयास में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा सड़क सुरक्षा विषय के गहन अध्ययनोपरान्त स्कूली विद्यार्थियों हेतु यह पाठ्यक्रम तैयार कर प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थी जिन्होने भिन्न–भिन्न तरीकों से सड़क का प्रयोग करना शुरू किया ह, के लिए अन्यन्त उपयोगी जानकारी संकलित की गयी है।

****

विषय सूची

क्र0स0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	यातायात एवं उसके नियम	1–3
2	वाहन में यात्रा करने के नियम एवं संकेतक	4–8
3	सड़क सुरक्षा– साईकिल सवारी और विशेष सावधानियां	9–13
4	सड़क– प्रकार तथा अंकन	14–19
5	सड़क संकेतक तथा प्रकार	20–24
6	सड़क संकेतक – चेतावनी एवं सूचनात्मक चिन्ह	25–32
7	वाहन का पंजीयन तथा चालक लाईसेंस	33–36
8	परिवहन विभाग एवं विभागीय उद्देश्य	37
9	मोटर यान अधिनियम 1988(संशोधित 2019) के अधीन पंजीयन तथा लाईसेंस से संबधित अपराध एवं प्रशमन शुल्क	38–39
10	दुपहिया वाहन चालक के लिये नियम एवं सावधानियां	40–43
11	चार पहिया वाहन चालकों के लिये आवश्यक सावधानियां एवं नियम ।	44–52
12	मोटर यान अधिनियम 1988(संशोधित 2019) के अधीन पंजीयन तथा लाईसेंस से संबधित अपराध एवं प्रशमन शुल्क	53–55
13	सड़क सुरक्षा– हमारे कर्तव्य एवं सरकार	56–60
14	सड़क सुरक्षा हेतु प्रयास	61–63

<u>अध्याय – 1</u>

<u>यातायात और उसके नियम</u>

<u>यातायात</u> :– सड़क पर चलने वाले वाहन, पैदल यात्री, घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी सभी सड़क यातायात में सम्मिलित हैं।

<u>यातायात के नियम</u> :– सड़क पर चलने वाले सभी पैदल यात्रियों, वाहन में सवार यात्रियों तथा वाहनों के लिये नियम बने हैं, जो यातायात के नियम कहलाते हैं। सभी को यातायात के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।

<u>सड़क पर पैदल चलने के नियम</u> :–

सडक पर चलना होगा आसान,
यदि रखोगे सड़क के नियमों का ध्यान ।

1. सदैव बडों की मदद से सड़क पार करें।

2. सड़क किनारे ऐसे स्थान पर खड हों या प्रतीक्षा करें जहाँ से सड़क के दांये तथा बायें स्पष्ट देखा जा सके।

3. सड़क पर किसी वाहन के नहीं आने की दशा में सावधानी पूर्वक सड़क पार करें।
4. सड़क पार करते समय बड़े ही बच्चों का हाथ पकड़ें।
5. सड़क किनारे चलते समय बड़े सड़क की ओर रहें और बच्चे अन्दर की ओर रहें।

6. ध्यान रखे कि सड़क खेल का मैदान नहीं है। सड़क के नजदीक अथवा सड़क पर कभी भी न खेलें।

7. सदैव सड़क किनारे फुटपाथ पर ही चलें। यदि फुटपाथ न हो तो सड़क से दूर मकान या दुकान के निकट होकर चलें।
8. सड़क किनारे खड़े वाहनों के पीछे कभी नहीं खेलें ।
9. सड़क किनारे खड़े वाहनों के बीच से सड़क पार नहीं करें।
10. सड़क पार करने के लिये हमेशा **जैब्रा क्रॉसिंग** का प्रयोग करें।
11. समूह में सडक पार करने की कोशिश करें।

जैब्रा क्रॉसिंग :– सड़क पर बनी काली तथा सफेद रंग की पट्टियां जैब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। यह चौराहों या सड़कों पर सुरक्षित स्थानों पर बनायी जाती हैं। जैब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग पैदल यात्रियों द्वारा चौराहों तथा सड़क को पार करने के लिये किया जाता है।

चौराहा :– सड़क पर ऐसा स्थान जहाँ दो या दो से अधिक सड़कें मिलती हैं, चौराहा कहलाता है। चौराहों पर पैदल चलने वालों के लिये जैब्रा क्रॉसिंग बनी होती है।

वाहन चालक– किसी वाहन को चलाने वाला व्यक्ति वाहन चालक कहलाता है।

यातायात बत्ती (ट्रैफिक लाइट)

किसी भी शहर के व्यस्त चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिये यातायात बत्ती (ट्रैफिक लाइट) का प्रयोग किया जाता है। सभी वाहन चालकों के लिये इनका पालन करना अनिवार्य है। ये तीन रंगो में होती है–

(1) लाल बत्ती (2) हरी बत्ती (3)नारंगी/पीली बत्ती

1–लाल बत्ती– लाल बत्ती का मतलब होता है रूकना। अर्थात चौराहे पर लाल बत्ती जलती हुई नजर आये तो वहॉ पर वाहन को रोकना होगा।

2–हरी बत्ती– हरी बत्ती का मतलब होता है अब चलो अर्थात जब लाल बत्ती के पश्चात् हरी बत्ती जलती है तो इसका अर्थ होता है कि अब आपको चलना है।

3–नारंगी/पीली बत्ती– नारंगी/पीली बत्ती का मतलब होता है रूकने के लिये तैयार हो जाना। नारंगो/पीली बत्ती दिखने पर स्टॉप लाइन से पहले वाहन को रोक देना चाहिये।

आओ जाने–सड़क संकेतक

सड़क संकेतक तीन प्रकार के तथा अलग–अलग आकार के होते है, जो सड़क के किनारे बोर्ड में प्रदर्शित होते है।

1. **निर्देशात्मक** – संकेतक जो निर्देश देते है, निर्देशात्मक संकेतक कहलाते हैं। निर्देशात्मक चिन्ह गोल आकार में प्रदर्शित होते हैं।

नो पार्किंग

गति सीमा

2. **चेतावनी** – संकेतक जो चेतावनी देते है, चेतावनी संकेतक कहलाते है। चेतावनी वाले चिन्ह त्रिकोणाकार होते हैं।

रेलवे क्रॉसिंग

जैब्रा क्रॉसिंग

3. **सूचनात्मक** – संकेत जो सूचना देते हैं, सूचनात्मक संकेतक कहलाते हैं। सूचनात्मक चिन्ह सामान्य तौर पर वर्गाकार या आयताकार होते हैं।

चिकित्सालय

पैट्रोल पंप

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न –1 सही (✓) गलत (✗) बतायें–

1. सड़क पार करते समय बड़े ही बच्चों का हाथ पकड़ें। ( )
2. हमेशा सड़क पर खेलना चाहिए। ( )
3. फुटपाथ न होने पर सड़क के पास से होकर चलें। ( )
4. चौराहों पर जैब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। ( )

प्रश्न –2 रिक्त स्थान भरिये –

1. ट्रैफिक लाईट .....पर लगी होती है।
2. लाल बत्ती का मतलब ..... होता है।
3. हरी बत्ती का मतलब ..... होता है।
4. पीली बत्ती का मतलब ..... होता है।

प्रश्न –3 सड़क संकेतकों को पहचान कर उनका अर्थ बताईये –

चाहे कितनी कम हो दूरी
हेल्मेट लगाना है जरूरी

अध्याय – 2

वाहन में यात्रा करने के नियम एवं सड़क संकेतक

हम सभी प्रतिदिन किसी न किसी कारण से सड़क का प्रयोग करते है। सड़क हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। सड़क पर चलने के लिये नियम बने हैं। इन नियमों को यातायात के नियम कहते हैं। हम सभी को इन नियमों की भली–भांति जानकारी होनी चाहिए। सड़क पर सुरक्षा के लिये केवल वाहन चालक को ही नहीं बल्कि प्रत्येक पैदल यात्री तथा वाहन में सवार यात्रियों को भी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।

दुपहिया वाहन में यात्रा करने के नियम

दुपहिया वाहन (स्कूटर, मोपेड, मोटर साईकिल) में यात्रा करते समय सावधानो रखनी आवश्यक है। कुछ नियमों के बारे में जानकर तथा उनका पालन कर हम सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं।

जैसे–

- किसी भी दुपहिया वाहन में अभिभावक के साथ बैठते समय अभिभावक को पकड़ कर बैठें।
- वाहन के चलने से पूर्व ही अपना हेलमेट पहन लें तथा अपने बडों को भी हेलमेट पहनने को कहें।
- दुपहिया वाहन में दो से अधिक सवारी नहीं बैठनी चाहिए।
- दुपहिया वाहन पर यात्रा करते समय वाहन पर खड़े होने की कोशिश कभी नहीं करें।

चार पहिया वाहन में यात्रा करने के नियम

चार पहिया वाहन (कार, जीप आदि) में यात्रा करते समय भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। बच्चों के लिये महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं –

- चार पहिया वाहन में बच्चों (12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र के) को हमेशा पीछे की सीट पर बैठना चाहिए। ताकि बच्चे की किसी हरकत के कारण कोई दुर्घटना घटित न हो सके साथ ही वाहन में लगे एयर बैग के अकस्मात् खुलने से बच्चे को शारीरिक क्षति नहीं पहुँचे।
- वाहन चलाने से पहले अपनी सीट बैल्ट को अच्छी तरह पहन लें तथा अन्य को भी ऐसा करने को कहें, क्योंकि सभी के लिये सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य है।
- चलते वाहन में शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालें।
- वाहन में बैठने के बाद जॉच लें कि सभी दरवाजे ठीक से बंद हों ।

- चलते वाहन में खिड़की या दरवाजा खोलने का प्रयास नहीं करें।
- वाहन के पूर्ण रूप से रूकने के बाद ही चढ़ना या उतरना चाहिए।
- वाहन में हमेशा अपने बायें तरफ से ही उतरें/चढ़ें।

स्कूल बस में यात्रा करने के नियम

स्कूल बस पीले रंग की होती है और स्कूल बस पर स्कूल का नाम, पता व दूरभाष नम्बर अंकित होता है। स्कूल बस की खिड़कियों में सुरक्षा के लिये जाली/रैलिंग्स लगाना अनिवार्य है। स्कूल बस में बच्चों की सहायता के लिये सहायक की व्यवस्था होती है। सुरक्षा हेतु स्कूल बस में वीएलटी/ आपातकालीन बटन तथा सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं।

- स्कूल बस का इंतजार करते समय हमेशा सड़क से दूर खड़े रहें।
- स्कूल बस में चढ़ने के लिए लाईन में अपनी बारी का इन्तजार करें।
- स्कूल बस में हमेशा लाईन में ही चढ़ना–उतरना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए।
- जब आप स्कूल बस के अन्दर हों, तो अपनी सीट पर बैठे रहें ना कि इधर–उधर भागें।
- बस में यात्रा करते समय शरीर का कोई भी अंग (हाथ, सिर आदि) बाहर न निकालें।
- बस में खड़े होकर यात्रा नहीं करें।
- बस में शोर नहीं करें, इससे चालक का ध्यान बंट सकता है, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है।
- हमेशा स्कूल बस के आगे के गेट से उतरना चाहिए तथा कभी भी चलती बस से नहीं उतरना चाहिए।
- बस से उतरने के बाद, सड़क पार करने से पहले बस के जाने का इन्तजार करें, ताकि आप दोनों ओर आसानी से देखकर सड़क पार कर सकें।
- स्कूल बस में कभी भी बोनट पर नहीं बैठें और न ही अपना सामान रखें।
- स्कूल बस में स्कूल बैग, बोतल आदि सामान को निर्धारित स्थान पर ही रखें।

➢ स्कूल बस में यात्रा करते समय किसी भी प्रकार के कूड़े या सामान को सड़क को सड़क पर न फेंके, कूड़ा हमेशा स्कूल बस में रखे कूड़ेदान में डालें।

यह भी जानें –

बड़ों को भी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए ।

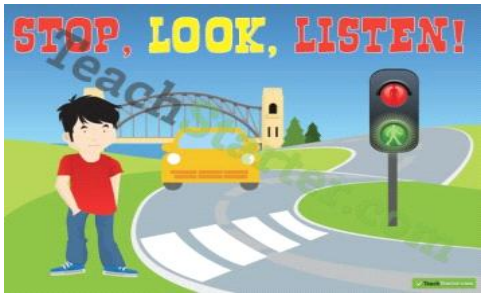

सभी के लिये, सड़क पर पैदल चलते समय, यात्रा करते समय या वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। बड़ों के लिये यातायात के नियम निम्नलिखित हैं –

➢ सदैव फुटपाथ पर ही चलें। फुटपाथ नहीं होने की दशा में सड़क से दूर दुकान या मकान के नजदीक चलें।

➢ सड़क को पार करते समय दायें–बायें(दोनों ओर) अवश्य देखें ।

➢ जैब्रा क्रॉसिंग होने पर उसका प्रयोग करें।

➢ सड़क तभी पार करें जब सड़क पर चलने वाले वाहन आपसे सुरक्षित दूरी पर हों ।

➢ दौड़कर या मोबाईल पर बात करते हुये या विभाजक रेलिंग को फांद कर कभी भी सड़क पार नहीं करें।

➢ सड़क पर पैदल चलते समय ईयर फोन का प्रयोग नहीं करें।

➢ चलते वाहन में लटक कर/छत पर बैठकर यात्रा नहीं करें। रात्री में हल्के रंग के कपड़े पहनें जैसे, सफेद या चमकीलें, ताकि अंधेरे में दोनों ओर से आ रहे वाहनों के प्रकाश से आप स्पष्ट दिखाई दे सकें।

सड़क संकेतक

सड़क पर सुरक्षा के लिये सभी को सड़क संकेतों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप जानते है, कि, सड़क संकेतक तीन प्रकार के होते है तथा आकार में एक दूसरे से भिन्न होते है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूण सड़क संकेतकों के विषय में जानेंगे।

1–निर्देशात्मक संकेतक –

प्रवेश निषेध है।	
वाहन खड़े करना मना है।	
हॉर्न बजाना मना हैं।	
गति सीमा ।	

2 –चेतावनी संकेतक–

दाहिने ओर मोड़।	
आगे मार्ग संकरा है।	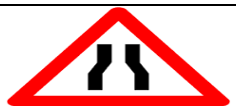
पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा है।	
आगे स्कूल है।	

3–सूचनात्मक संकेतक–

दिशा व दूरी सूचक।	
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र।	
रेस्टोरेंट/भोजन का स्थान	
इस ओर वाहन खड़ा करें।	

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. रिक्त स्थान भरें –

- दुपहिया वाहन के चलने से पूर्व ही अपना ..... पहन लें।
- दुपहिया वाहन पर यात्रा करते समय वाहन में कभी भी.....नहीं होना चाहिए।
- सड़क पर हमेशा वाहन से उतरते समय अपनी..... तरफ से ही उतरें/चढ़ें।
- स्कूल बस .....रंग की होती है।
- स्कूल बस में हमेशा..... में ही चढ़ना–उतरना चाहिए।
- स्कूल बस के पूरी तरह.....के बाद ही उतरना चाहिए ।
- कभी भी .....बस से नहीं उतरना चाहिए।
- सड़क पर फुटपाथ नहीं होने की दशा में सड़क से दूर ..... के नजदीक चलें।

➢ प्रश्न 2. सही (✓)गलत (✗)बतायें–

1– स्कूल बस में चढ़ने के लिए लाईन में अपनी बारी का इन्तजार करना चाहिए। ( )
2– स्कूल बस में सदैव निर्धारित स्थान पर ही बैठना चाहिए। ( )
3– चार पहिया वाहन में बच्चों को पीछे की सीट पर नहीं बैठना चाहिए। ( )
4– दुपहिया वाहन में दो से अधिक सवारी बैठानी चाहिए। ( )
5– दुपहिया वाहन में हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ( )
6– चार पहिया वाहन म सभी के लिये सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य है। ( )
7– वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना चाहिए। ( )

प्रश्न 3. रिक्त स्थान पर सही उत्तर लिखिये –

1– गति सीमा का संकेत..... है। निर्देशात्मक / सूचनात्मक
2– जैब्रा क्रॉसिंग का संकेत.....है। निर्देशात्मक / चेतावनी
3– प्रवेश निषेध का संकेत.....है। निर्देशात्मक / सूचनात्मक
4– आगे पैट्रोल पंप का संकेत.....है। निर्देशात्मक / सूचनात्मक
5– रेलवे क्रॉसिंग का संकेत..... है। चेतावनी / सूचनात्मक
6– पहाड़ से पत्थर गिरने का संकेत..... है। निर्देशात्मक / चेतावनी
7– दिशा एवं दूरी का संकेत.....है। निर्देशात्मक / सूचनात्मक

प्रश्न 4–सड़क संकेतकों से सही अर्थ का मिलान करें –

	दाहिने ओर मोड़।
	वाहन खड़े करना मना है।
	पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा है
	गति सीमा
	इस ओर वाहन खड़ा करें।
	दिशा व दूरी सूचक
	हॉर्न बजाना मना है

आपातकालीन सेवा वाहनों को रास्ता दें।

अध्याय – 3

सड़क सुरक्षा – साईकिल सवारी और विशेष सावधानियां।

सड़क सुरक्षा :– सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा। सड़क पर सुरक्षा के लिये सावधानियां तथा नियम हैं, जिनका पालन कर प्रत्येक व्यक्ति स्वंय को तथा दूसरों को भी सुरक्षित रख सकता है।

सड़क उपयोगकर्ता :– सड़क उपयोगकर्ता में सड़क पर चलने वाले सभी पैदल यात्री, साईकिल सवार, छोटे–बड़े वाहन तथा वाहनों में बैठे यात्री सम्मिलित हैं। सभी को सड़क पर सुरक्षा के लिये यातायात नियमो का पालन करना आवश्यक है।

साईकिल सवार के लिए आवश्यक सावधानियां

- साइकिल चलाने से पूर्व जांच ले कि साइकिल के ब्रेक, घण्टी, लाईट, चेन और हैन्डल ठीक प्रकार से कार्य कर रहें हैं।

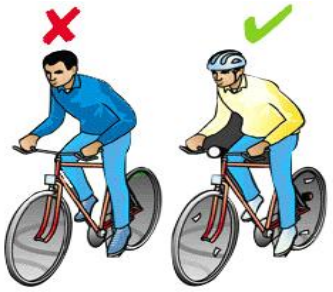

- साईकिल चलाते समय हमेशा हेल्मेट पहनकर रखें।
- रात्रि में साइकिल चलाते समय चमकीले कपड़े पहनें ताकि सभी आपको स्पष्ट देख सकें।
- साईकिल सदैव सड़क के किनारे बाईं ओर चलानी चाहिए, सड़क के बीच में नहीं।
- हमेशा एक लाईन में एक–दूसरे के पीछे साइकिल चलाना चाहिए। सड़क के बीच में साइकिल कभी भी नहीं चलायें।
- सड़क पर खड़ वाहनों के नजदीक साइकिल चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि अचानक दरवाजा खोलने या वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है। अतः खड़े वाहन से सुरक्षित दूरी पर साईकिल चलाएं।

- साईकिल पर एक से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए
- सड़क पर साइकिल से किसी भी तरह के करतब करने से बचना चाहिए।
- तेज गति से साईकिल न चलायें एवं साइकिल चलाते समय कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए।

- साईकिल पर अपने साथ कभी भी अधिक सामान/बोझ न ले जायें।
- साइकिल चलाते समय मोबाईल फोन या ईयर फोन का प्रयोग न करें।
- चौराहे पर गति धीमी रखें, यातायात संकेतों का पालन करते हुये सड़क पार करें।

कुछ विशेष सावधानियां एवं जानकारियॉ जो बच्चों तथा बड़ों के लिये आवश्यक हैं।

➢ **हेलमेट का प्रयोग** –दुपहिया वाहन (स्कूटर, मोपेड, मोटर साईकिल) को चलाते समय चालक/पीछे बैठी सवारी को उच्च गुणवत्ता का बी0एस0आई0 मार्क हेल्मेट पहनना अनिवार्य है, जो सिर को पूरा ढके तथा उसका स्ट्रैपस ही ढंग से बंधा हो ताकि हेलमेट न फिसले। हेलमेट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में सिर को गंभीर चोट से सुरक्षित रखता है। अतः दुपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने और अपने से बड़ों को भी ऐसा करने को कहे।

➢ **सीट बैल्ट का प्रयोग** – चौपहिया वाहन में सीटबैल्ट पहनना सभी के लिये अनिवार्य है। सीट बैल्ट को सुरक्षा बैल्ट भी कहा जाता है। सीट बैल्ट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में शरीर को गंभीर चोटों से सुरक्षित रखता है। बच्चों को (12 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र के) हमेशा कार अथवा जीप में पीछे की सीट पर बैठना चाहिए। हमेशा सीट बैल्ट पहन कर ही बैठें और अपने से बड़ों को भी ऐसा करने को कहे।

➢ **गति सीमा** –वाहन को निर्धारित गति में चलायें। तीव्र गति दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती है। गति सीमा के संकेतक सड़क किनारे प्रदर्शित होते है। सड़क संकेतक में प्रदर्शित गति सीमा में ही वाहन को चलाना चाहिए। अतः अपने बड़ा को भी गति सीमा का पालन करने को कहें।

➢ **मोबाईल का प्रयोग**–वाहन चलात समय मोबाईल का प्रयोग सड़क से ध्यान हटाने का कार्य करता है जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अतः वाहन चलाते समय मोबाईल का, ईयर फोन का, हैंड फ्री उपकरणों का प्रयोग नहीं करे ।

➢ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें या यातायात सिपाही की तैनाती की दशा में सिपाही द्वारा दिये गये संकेतों का पालन करें। सड़क पर दूसरे वाहन से प्रतिस्पर्धा नहीं करें और न ही अपने से बड़ों को ऐसा करने दें।

- तीव्र/कर्कश ध्वनि वाले हॉर्न का प्रयोग नहीं करें और न ही अपने से बड़ों को ऐसा करने दें।
- एंबुलेस तथा आपातकालीन वाहनों (पुलिस तथा अग्निशमन) को पहले रास्ता दें।
- सड़क पर यदि बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग सड़क को पार करना चाह रहें हों तो पहले उन्हें सड़क पार करने दें।
- सड़क पर पशुओं के होने पर सावधानी पूर्वक वाहन चलायें।
- वाहन को निर्धारित स्थान (पार्किंग) में ही खड़ा करें ।

सड़क संकेतक

सड़क पर तीन प्रकार के संकेतक यातायात को सुगम बनाने में हमारे सहायक होते है। आईये अब इनके विषय में विस्तार से जाने–

प्रवेश निषेध है,		यह सड़क संकेतक दर्शाता है कि आगे वाहनों को नहीं ले जाया जा सकता है।
वाहन खड़े करना मना है		नो पार्किंग जोन में यह संकेतक लगाया जाता है जहॉ पर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करना मना होता है।
हॉर्न बजाना मना है		यह ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहॉ हॉर्न बजाया जाना मना होता है। जैसे–अस्पताल, स्कूल आदि।
गति सीमा		यह संकेतक ऐसी सड़कों पर लगाये जाते हैं जहॉ गति सीमा दुर्घटना का कारण हो सकती है। यह संकेतक गति सीमा को लिखे अंको तक ही निर्धारित करने को निर्देशित करता है।
दाहिने ओर मोड़		यह चिन्ह सड़क पर आगे दाहिनी ओर मोड़ होने के बारे में सचेत करता है।
आगे मार्ग संकरा है		जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो यह संकेत ऐसी स्थिति होने का संकेत देकर वाहनो की दुर्घटना को टालने का कार्य करता है।
पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा है		भूस्खलन के दौरान पहाड़ी मार्गों से पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह ऐसे खतरे वाल स्थानों के प्रति चेतावनी प्रदर्शित करता है।
आगे स्कूल है,		यह सड़क चिन्ह आगे/आस–पास किसी स्कूल के होने की चेतावनी देता है। यह चिन्ह स्कूल के सामने होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम करने में सहायक होते हैं।

दिशा व दूरी सूचक (गंतव्य चिन्ह)		यह चिन्ह किसी सड़क पर स्थित तथा सड़क से विभिन्न स्थानों की दिशा एवं दूरी को दर्शाता है।
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र		यह चिन्ह दर्शाता हैं कि आगे एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की सुविधा है। यह आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होता है।
रेस्टोरेंट/भोजन का स्थान		यह चिन्ह दर्शाता हैं कि आगे भोजन की सुविधा है।
इस ओर वाहन खड़ा करें (पार्किंग)		यह चिन्ह वाहनों को खड़ा करने हेतु उचित स्थान होने की जानकारी देता है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 01 – साईकिल चलाते समय क्या–क्या सावधानियां रखनी चाहिए ?

प्रश्न 02 – सड़क संकेतक कितने प्रकार के होते हैं ?

प्रश्न 03 – सड़क संकेतक किस–किस आकार के होते हैं। चित्र के साथ समझायें ?

प्रश्न 04 –निम्न सड़क संकेतकों के आगे उनका सही अर्थ लिखिये –

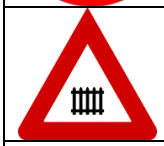	

प्रश्न 05 –निम्नलिखित के संबध में तीन वाक्य लिखिये ।

- हेलमेट का प्रयोग ।
- सीट बैल्ट का प्रयोग।
- गति सीमा।
- मोबाईल का प्रयोग।

सड़क पर गंदगी न फैलायें, कूड़ा वाहन में रखे कूड़ेदान अथवा सड़क के किनारें रखे कूड़ेदान में ही डालें।

अध्याय – 4

सड़क – प्रकार तथा अंकन

सड़क :– हमारे देश में सड़क मार्ग यात्रा का प्रमुख माध्यम है। सड़क का किसी भी राष्ट्र, राज्य या क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। सड़कें राष्ट्र के विभिन्न राज्यों, जनपदों तथा गांव एवं कस्बों को आपस में जोडती हैं। सड़क में पुल, सुरगें, सड़क किनारे वाहन खड़ा करने का स्थान, गोल चक्कर, चौराहा, डिवाईडर, लेन, ओवर पास, अंडर पास, टोल प्लाजा तथा निर्माणाधीन सड़कें शामिल है। सड़कों पर दूरी, मार्ग का नाम प्रदर्शित करने हेतु विभिन्न रंगो के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें माईलस्टोन (मील का पत्थर) कहते हैं।

सड़क के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं।

- एक्सप्रेस मार्ग ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग ।
- राजकीय राजमार्ग।
- जिला सड़क।
- ग्रामीण सड़क।

एक्सप्रेस माग :– प्रमुख राज्यों के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उच्च कोटि की सड़कें एक्सप्रेस मार्ग कहलाती हैं। भारत में एक्सप्रेस मार्गों का विकास एवं प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (**NHAI**) द्वारा किया जाता है। जैसे –

1. यमुना एक्सप्रेस–मार्ग (उत्तर प्रदेश)।
2. मबई–पुणे एक्सप्रेस–मार्ग (महाराष्ट्र) ।

राष्ट्रीय राजमार्ग :– राष्ट्र की प्रमुख सड़कें जो राज्यों की राजधानियों, प्रमुख बन्दरगाहों, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा धार्मिक/पर्यटक स्थलों को आपस में जोड़ती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या को **NH** से प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (**NHAI**) तथा लोक निर्माण विभाग (**PWD**) द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु पीले एवं सफेद रंग के माईलस्टोन लगाये जाते हैं।

उदाहरण –

1) NH 1 – दिल्ली – जालंधर– अमृतसर – बाघा बार्डर
2) NH 58 – दिल्ली – मेरठ– हरिद्वार –बद्रीनाथ–माणा

<u>राजकीय राजमाग</u> – राज्य की प्रमुख सड़कें जो जनपद मुख्यालयों, मुख्य कस्बों, पर्यटक/धार्मिक स्थला तथा छोटे बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है, राजकीय राजमार्ग की श्रेणी में आती है। राजकीय राजमार्गों की संख्या को **SH** से प्रदर्शित किया जाता है। इन राजमार्गों का विकास एवं प्रबंधन राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग (**PWD**) द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु हरे एवं सफेद रंग के माईलस्टोन लगाये जाते हैं।

उदाहरण –

1) SH 01 :– देहरादून–राजपुर–मसूरी।
2) SH 24 :– ऋषिकेश–रानीपोखरी–भोगपुर–देहरादून।
3) SH 58 :– उत्तरकाशी– लंबगॉव–घनसाली–तिलवाड़ा।

जिला सड़क – जनपद की मुख्य सड़कें जो जनपद के विभिन्न बाजारों/व्यावसायिक कस्बों, नगरों को एक दूसरे से जोड़ते हुये उन्हें राजकीय राजमार्गों से जोड़ने का कार्य करती हैं, जिला सड़क कहलाती है। जिला सड़कों का विकास एवं पबंधन राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु काले एवं सफेद रंग के माईलस्टोन लगाये जाते हैं।

<u>ग्रामीण सड़क</u> – जनपद की ब्लॉक स्तरीय सड़क जो ग्रामीण आबादी को ब्लॉक/तहसील तथा स्थानीय बाजारों से जोड़ती हैं, ग्रामीण सड़क कहलाती है। यह सड़क किसाना को उनकी उपज को जनपदीय बाजारों या व्यवसायिक केन्द्रों तक पहुॅचाने में सहायक होती हैं। ग्रामीण सड़कों का विकास एवं प्रबंधन राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। इन मार्गों पर दूरी प्रदर्शित करने हेतु लाल एवं सफेद रंग के माईलस्टोन लगाये जाते हैं।

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना</u> – यह मार्ग विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजना के अन्तर्गत बनाये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिये सड़कों का निर्माण किया जाता है।

<u>ट्रैफिक लेन</u> – सड़क पर वाहनों के सुरक्षित संचालन तथा नियंत्रण के लिये सड़क पर चल रहे यातायात को ट्रैफिक लेन द्वारा विभाजित किया जाता है। सड़क पर यातायात को विभिन्न लेन

यानि गलियारों में परिवर्तित कर पंक्तिबद्ध रूप से संचालित करवाया जाता है। सड़क पर आने–जाने वाले यातायात की ये पंक्तियां ही ट्रैफिक लेन कहलाती है। यातायात प्रवाह के आधार पर सड़कें 2, 4, 6 तथा 8 लेन की हो सकती है। लेन को स्थायी रूप देने के लिये सड़क अंकन द्वारा सड़क का विभाजन किया जाता है।

रोड मार्किंग (सड़क अंकन)

सड़कों पर यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन के लिये सड़क का प्रयोग करने वाले पैदल यात्रियों/चालकों को उस सड़क के संबध में दिशा–निर्देश दिया जाना भी आवश्यक है। इसके लिये सड़क, फुटपाथ या उनके साथ सटी वस्तुओं पर विभिन्न पंक्तियों, आकारों या शब्दों में निशान चित्रित किये जाते हैं जिन्हें सड़क अंकन कहते हैं। सड़क की सतह पर सफेद व पीले रंग से पेंट की गयी विभिन्न आकार की पंक्तियां या रेखाये सड़क अंकन का प्रमुख प्रकार है। ये रेखायें/ पंक्तियां सड़क की सतह पर मुख्यतः दो प्रकार से चित्रित की जाती हैं –

बॉर्डर लाईन (सीमा रेखा) – वाहन के सुरक्षित संचालन के लिये सड़क को सीमा को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। इसके लिये सड़क के दोनों किनारों पर सफेद या पीली समान्तर रेखायें पेंट की जाती हैं और ये समान्तर रेखायें ही किसी सड़क की सीमा रेखा होती हैं।

सैंटर लाईन (मध्य रेखा) – डबल या दो लेन वाली सड़कें जिन्हें किसी प्रकार की रेलिंग या निर्माण द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है, को विभाजित करने के लिये मध्य भाग में विभिन्न आकार की रेखायें अंकित की जाती हैं जिन्हें मध्य रेखायें कहते हैं। ये सड़क के मध्य में सफेद या पीले रंग से पेंट की जाती है। मध्य रेखा विपरीत दिशा से आने वाले यातायात के प्रवाह को अलग करती है और यातायात के संचालन को सुगम/सुरक्षित बनाती है। य निम्न रूपों में हो सकती है–

एकल खंडित रेखा :– आवश्यकतानुसार ऐसी रेखा को पार कर वाहन संचालित कर सकते हैं या ओवर टेकिंग कर सकते है। किन्तु ऐसा तभी करना चाहिए जब ऐसा करना पूर्णतः सुरक्षित हों।

एकल ठोस रेखा – एकल ठोस रेखा चाहे वह सफेद हो या पीली उसे पार कर दूसरी लेन में नहीं जाना चाहिए, न ही उस पर चलना चाहिए।

एकल खंडित तथा ठोस रेखा :– ये रेखा एकल खंडित तथा एकल ठोस रेखा का मिश्रण होती हैं। यदि एकल ठोस रेखा आपकी

ओर है तो उसे पार नहीं करना चाहिए और यदि एकल खंडित रेखा आपकी ओर है तो उसे आवश्यकतानुसार ओवरटेक या पार कर सकते हैं, जब ऐसा करना पूर्णतः सुरक्षित हो।

दोहरी ठोस रेखा – सड़क पर दोहरी ठोस रेखा होने पर किसी भी दिशा से आने वाले यातायात को मध्य रेखा से पार करने की अनुमति नहीं होती है।

जैब्रा क्रॉसिंग – ये काली व सफेद पट्टिया हैं जो एकांतर क्रम में सड़क पर समानान्तर रूप से पेंट की जाती हैं। पैदल चलने वालों को सड़क पार करने की सुविधा व अधिकार प्रदान करती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रत्येक वाहन चालक को जैब्रा क्रॉसिंग से पहले वाहन रोक कर पैदल चलने वालो को रास्ता देना चाहिए।

स्टॉप लाईन– स्टॉप लाईन एकल ठोस या खंडित रेखा है जो जैब्रा क्रॉसिंग तथा चौराहों से पूर्व आरपार बनी होती है। यह लाईन दर्शाती है कि लाल सिग्नल होन पर तथा पुलिस कर्मी द्वारा निर्देश दिये जाने पर सभी वाहनों को इस लाईन से पीछे रूकना है।

यह भी जान – सड़क पर पंक्तियों के अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं भी स्थापित की जाती हैं जो चालक का मार्गदर्शन करने के साथ ही यातायात के सुरक्षित संचालन तथा नियंत्रण में सहायता करती हैं। आईये अब ऐसे सड़क अंकन या निशानों के विषय में जाने जो सड़क या फुटपाथ पर स्थापित या चित्रित किये जाते हैं ।

प्रकाश परावर्तक अंकन – कम राशनी/बिना रोशनी वाली सड़कों पर चालक को सचेत करने के लिये सड़क किनारे या मध्य भाग में विभिन्न प्रकार के रिफ्लैक्टर टेप या कैट आई रिफ्लैक्टर या ब्लिंकर लगाये जाते हैं।

गाईड पोस्ट–अधिक घुमावदार मार्ग, पर्वतीय मार्ग जिनमें अचानक ही घुमावदार मोड़ हों या ऐसा मार्ग जो आगे तथा पीछे के मार्ग से अधिक संकरा हो ऐसे स्थानों पर गाईड पोस्ट (रिफ्लेक्टर युक्त छोटे खंबे) स्थापित कर चालक को सचेत किया जाता है।

सैफ्टी/क्रैश बैरियस– सड़क के किनारों पर मुख्यतः पर्वतीय सड़कों पर अधिक संकरे तथा गहरी खाई वाले स्थानों पर सुरक्षा हेतु धातु के अवरोधक लगाये जाते हैं जो वाहनों के अनियंत्रित होने पर उन्हें गहरी खाई में गिरने से बचा सकते हैं ।

दर्पण :–उपरोक्त के अतिरिक्त कभी–कभी तीव्र घुमावदार सड़कों पर दोनों तरफ के यातायात की दृश्यता के लिये उत्तल दर्पण भी लगाये जाते हैं। जिससे दूसरी तरफ से आने वाले वाहन का प्रतिबिंब पहले ही दिख जाता है और चालक सतक हो जाता है।

सड़क संकेतक–सड़क संकेतक आगे की सड़क की दशाओं के बारे में पहले से सूचित करते हैं। आईये पूर्व में पढ़े गय महत्वपूर्ण सड़क संकेतों के विषय में जानें–

प्रवेश निषध है,	
वाहन खड़ा करना मना है	
हॉर्न बजाना मना है	
दाहिनी ओर तीव्र घुमावदार मोड़ है।	
गति सीमा 50 कि0मी0 प्रति घंटा	
दाहिना मोड़	
आगे मार्ग संकरा है	
पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा है	
आगे स्कूल है,	
दिशा व दूरी सूचक,	
आगे प्राथमिक उपचार केन्द्र है	
आगे रेस्टोरेंट/भोजन स्थान है,	
पार्किंग/वाहन खड़ा करने का स्थान	

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 01 – निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

- सड़कें कितने प्रकार की होती हैं?
- राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं?
- सड़क अंकन क्या है?
- सडक अंकन के प्रकार बताईये?
- सड़क का लेन में विभाजन क्यों किया जाता है?
- सैफ्टी/क्रैश बैरियर्स के विषय में लिखिये?

प्रश्न 02 – सही मिलान करें ।

➢ प्रकाश परावर्तक अंकन	–	
➢ तीव्र घुमावदार मोड़	–	SH 10
➢ गति सीमा	–	मध्य रेखा।
➢ सड़क अंकन	–	कैट ई रिफ्लैक्टर ।
➢ राजकीय मार्ग संख्या	–	

प्रश्न 03 – आओ देखें हमने कितना जाना –

- सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं?
- सड़क किनारे पेंट की गयी रेखाओं को क्या कहते हैं?
- किसी एक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बतायें?
- डबल या दो लेन वाली सड़क को किस रेखा से विभाजित किया जाता है?

प्रश्न 04 – किन्ही पॉच सडक संकेतक को चित्र सहित समझाईये?

प्रश्न 05 – एकल ठोस रेखा वाली सड़क का चित्र बनाईए?

प्रश्न 06 – यह जानकारी भी एकत्र करें?

- उत्तराखंड के दो राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम।
- उत्तराखंड राज्य के दो राजकीय राजमार्ग के नाम।
- अपने जनपद की दो प्रमुख जिला सड़कों के नाम।
- अपने ब्लॉक की दो ग्रामीण सड़कों के नाम।

अध्याय – 5

सड़क संकेतक तथा प्रकार

सड़क संकेतक (Road Signs) :– सड़क संकेतक आगे की सड़क की दशाओं के बारे में पहले से सूचित करते हैं। यह सड़क के किनारे प्रदर्शित किये जाते हैं तथा सड़क पर चलते यातायात जिसमें मोटर वाहन, साइकिलें, पैदल तथा अन्य उपयोगकर्ता शामिल हैं, का मार्गदर्शन करने, उन्ह सचेत करने और नियंत्रित करने के लिए होते हैं। सड़क चिन्ह सदैव रोड के बांयी ओर जबकि पहाड़ो मार्गों पर घाटी की ओर प्रदर्शित होते हैं।

सड़क संकेतक तीन प्रकार के होते हैं, तथा अलग–अलग आकार के होते हैं।

1– निर्देशात्मक (Mandatory)।

2– चेतावनी (Cautionary)।

3– सूचनात्मक (Informatory)।

1–निर्देशात्मक (Mandatory) चिन्ह :– प्रत्येक वाहन चालक के लिए इन संकेतकों का पालन करना अनिवार्य होता है। निर्देशात्मक संकेतक दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन संकेतकों के उल्लंघन पर जुर्माना या दंड का प्राविधान है।

आम तौर पर निर्देशात्मक संकेतक गोल आकार के होते हैं। यह 36 प्रकार के होते हैं। केवल **रूकिए**' और **'रास्ता दीजिए'** के संकेत क्रमशः **अष्टभुजाकार** या **त्रिकोणाकार** होते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जाने ।

रूकिये	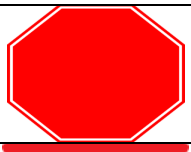	यह संकेत सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क संकेतो में से एक है। यह संकेत दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे।
रास्ता दीजिये		इस संकेत का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहॉ एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दायीं तरफ वाले यातायात को रास्ता देने का निर्देश देता है।
प्रवेश निषेध		यह चिन्ह दर्शाता है कि यहा सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध है।
एकांगी मार्ग चिन्ह–एक दिशा में यान प्रतिषेध	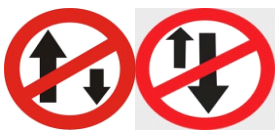	सड़क का ऐसा संकरा भाग जहॉ दोनों तरफ के यातायात का एक साथ निकलना संभव नहीं होता वहॉ पर प्राथमिकता के आधार पर आने–जाने वाले यातायात को क्रमवार नियंत्रित किये जाने हेतु प्रयोग किया जाता है ।
यानों का दोनों दिशाओं में प्रतिशेध		सड़क का ऐसा संकरा भाग जहॉ किसी भी तरफ के यातायात का निकलना संभव नहीं होता है।

सभी प्रकार के मोटरयान प्रतिबंधित		यह चिन्ह दर्शाता है कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र (जैसे – पद यात्रियों के प्रयोग वाले क्षेत्र, भोड़–भाड़ वाली बाजार की सड़कें) में वाहनो का आना/ले जाना मना है।
ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित		यह चिन्ह किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों के प्रवेश को वर्जित किये जाने हेतु निर्देशित करता है।
साईकिल प्रतिबंधित		साईकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्दिष्ट मार्ग (ऐसी सड़क जहॉ वाहन तेज गति से चलते हैं) पर साईकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिये जहॉ यह चिन्ह लगा हो वहॉ साईकिल नहीं चलानी चाहिए।
पदयात्री प्रतिबंधित		सड़क पर ऐसे स्थान/सड़कें जहॉ वाहन तीव्र गति से चलते हैं वहॉ पर पदयात्री इस चिन्ह द्वारा प्रतिबंधित किये जाते हैं। जैसे–राजमार्ग, वैकल्पिक व्यवस्था वाले चौराहे ।
हाथ ठेला प्रतिबंधित	**तांगा प्रतिबंधित**	**बैलगाड़ी पतिबंधित** **हाथ ठेला, बैल गाड़ी प्रतिबंधित**
दाहिनी ओर मुड़ना मना है।		यह चिन्ह चालक को निर्देशित करता है कि किसी भी परिस्थिति में दाहिने मुड़ना मना है।
बांयी ओर मुड़ना मना है।		यह चिन्ह चालक को निर्देशित करता है कि किसी भी परिस्थिति में बायीं ओर मुड़ना मना है।
वापस मुडना (यू टर्न) मना है		यह चिन्ह चालक को निर्देशित करता है कि किसी भी परिस्थिति में वापस मुड़ना मना है। यह चिन्ह व्यस्त चौराहों पर लगा होता है।
ओवर टेकिंग (आगे निकलना) मना है		यह चिन्ह चालक को निर्देशित करता है कि किसी भी परिस्थिति में ओवर टेकिंग करना (आगे निकलना) मना है। यह चिन्ह संकरी सड़क, पुल तथा मोड़ो पर लगे होते हैं जहॉ ओवर टेकिंग करना खतरनाक हो सकता है।
हॉर्न बजाना मना है		यह ऐसे स्थान पर लगाया जाता ह जहॉ हॉर्न बजाना मना होता है। जैसे – अस्पताल, स्कूल आदि।
ऊॅचाई की सीमा – ऐसी सड़के जो कम ऊॅचाई वाले पुलों अथवा रेलवे लाईनों के नीचे से होकर गुजरती है	**चौड़ाई की सीमा** – सड़क पर ऐसा पुल या संकरा रास्ता जहॉ से	**लंबाई की सीमा** – यह चिन्ह तीव्र या घुमावदार मोड पर लगाया जाता है जो उस

वहॉ यह चिन्ह वाहन की उस अधिकतम ऊॅचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके।	अधिकतम चौड़ाई वाले वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं। अधिकतम चौड़ाई सीमा को प्रदर्शित करता है।	मार्ग के लिये वाहन की अधिकतम लम्बाई को प्रदर्शित करता है।

भार सीमा		यह चिन्ह सड़क पर वाहन की अधिकतम भार क्षमता को प्रदर्शित करता है जो सड़क पर आगे जा सकता है।
धुरी भार सीमा		यह चिन्ह किसी पुल से पहले लगाया जाता है तथा पुल की अधिकतम वहन क्षमता को दर्शाता है।
गति सीमा		यह संकेतक ऐसी सड़कों पर लगाये जातें हैं जहॉ तीव्र गति सीमा दुर्घटना का कारण हो सकती है। यह संकेतक गति सीमा को लिखे अंको तक ही निर्धारित करने को आदेशित करता है।
वाहन खड़े करना मना है		यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता है ।
रूकना या ठहरना मना है।		ऐसे मार्ग जहॉ यातायात का लगातार प्रवाह बना रहता है तथा वाहन के रूकने पर यातायात का प्रवाह बाधित होने की आशंका होती है ऐसे मार्गों पर इन चिन्हों को प्रदर्शित किया जाता है।
अनिवार्य साईकिल मार्ग		यह चिन्ह दर्शाता है कि साईकिल चालक ही इस मार्ग पर अनिवार्य रूप से प्रवेश करें तथा अन्य वाहन प्रतिबंधित है।
अनिवार्य हॉर्न दीजिये		अचानक मोड़, मुख्यतः पहाड़ी मार्गों पर जहॉ पर चालक को सामने से आने वाले वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती ह, ऐसे मार्गों पर यह चिन्ह प्रदर्शित होते हैं।

आवश्यक आगे केवल आगे– यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना अनिवार्य है।	**आवश्यक बॉया मोड़ (यदि चिन्ह विपरीत है तो दाहिना मोड़)**	**आगे आवश्यक दाहिनी मोड़ है (यदि चिन्ह विपरीत है तो बायॉ मोड़)**
आवश्यक रूप से बांये चलिये–	**आवश्यक आगे या दाहिने मोड़**	**आवश्यक आगे या बॉये मोड़–**

प्रतिबन्धित सीमा समाप्त	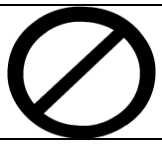	यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर लगाई गयी कोई भी रोक यहॉ समाप्त होती है।
अनिवार्य बस अड्डा		यह चिन्ह किसी बस स्टैण्ड या बस के रूकने के स्थान को प्रदर्शित करता है।

<u>यातायात से संबधित महत्वपूर्ण सावधानियां</u> :–पूर्व में हमने बच्चों के लिए सड़क पर पैदल चलते समय तथा यात्रा करते समय पालन किये जाने वाले यातायात के नियमों तथा जानकारियों को जाना और समझा। आइये अब यातायात से संबधित महत्वपूर्ण सावधानियों को भी जाने जो प्रत्येक पैदल यात्री और वाहन में सवार यात्री के लिये आवश्यक हैं –

- सड़क पार करने के लिए जहॉ जैब्रा क्रॉसिंग बनी हों वहाँ उसी का प्रयोग करें या फुट ओवर ब्रिज, पैदल पार पथ (Sub way) का प्रयोग करें, यदि यह सुविधाएं सड़क पर नहीं हो तो सावधानी पूर्वक दायें व बायें देखकर ही सड़क पार करें।

- प्रायः लोग ईयर फोन लगाकर सड़क पर पैदल चलते हैं जिससे यातायात पर उनका ध्यान नहीं रहता जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। अतः सड़क पर पैदल चलते समय ईयर फोन का प्रयोग कभी नहीं करें।

- रात्रि में हल्के रंग के कपड़े पहने जैसे सफद या चमकीलें जिससे अंधेरे में दोनों ओर से आ रहे वाहनों के प्रकाश से आप स्पष्ट दिखाई दे सकें।

- वाहन चालक यदि नशे या नींद में है अथवा उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे वाहन चलाने से रोक दें। नहीं मानने पर नजदीकी पुलिस चौकी चौकी/थाने या 112 नंबर पर इसकी सूचना दें। चालक यदि वाहन को तेज गति से चला रहा है तो दुर्घटना हो सकती है। अतः ऐसा करने से उसे मना करें। नहीं मानने पर नजदीकी पुलिस चौकी/थाने या 112 नंबर पर इसकी सूचना दें।

- तेज आवाज में संगीत सुनने से चालक का ध्यान भटक सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। अतः चलते वाहन मे तेज आवाज में संगीत नहीं सुने।
- वाहन में बच्चों (12 वर्ष तक के) को हमेशा पीछे की सीट पर बैठाना चाहिए। ताकि बच्चे की किसी हरकत के कारण कोई दुर्घटना घटित न हो सके एवं साथ ही वाहन में लगे एयर बैग के अकस्मात् खुलने से बच्चे को शारीरिक क्षति नहीं पहुॅचे।

- दुपहिया वाहन में यात्रा करते समय महिला यात्री अपने वस्त्र यथा–दुपट्टा/साडो को सही तरह से लपेटकर बैठें जिससे दुपट्टे/साड़ी के वाहन के टायर में उलझकर होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके।

- चलते वाहन से उतरने की या चढ़ने की कोशिश नहीं करें। वाहन की छत पर बैठकर या पीछे/फुट बोर्ड पर लटकर यात्रा नहीं करें। ऐसा करना दुर्घटना का कारण हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न सं0 01 – सही मिलान करें –

1– सभी प्रकार के मोटरयान प्रतिबंधित।

2– वापस मुडना (यू टर्न) मना है

3– ओवर टेकिंग (आगे निकलना) मना है

4– हाथठेला, बैल गाड़ी प्रतिबंधित

5– भार की सीमा

6– ऊँचाई की सीमा

प्रश्न सं0 02 –निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

- सड़क संकेतक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिये ।
- निर्देशात्मक सड़क चिन्ह किसे कहते हैं? दो उदाहरणों के साथ समझाईये।
- जो निर्देशात्मक चिन्ह गोल आकार के नहीं होते है, उनके नाम तथा अर्थ समझाईये।
- रात्रि में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए?
- चार पहिया वाहन में बच्चों को सदैव पीछे की सीट पर क्यों बठना चाहिए?

प्रश्न सं0 03 –निम्नलिखित संकेतको का चित्र बनाएं –

- गति सीमा 50 कि0मी0/घंटा।
- रूकना या ठहरना मना है।
- ओवर टेकिंग(आगे निकलना) मना है।

- एकांगी मार्ग चिन्ह – एक दिशा में यान प्रतिषेध।

प्रश्न सं0 04 – यातायात से संबधित 10 महत्वपूर्ण सावधानियॉ लिखिये।

सड़क पर गंदगी न फैलायें, कूड़ा वाहन में रखे कूड़ेदान अथवा सड़क के किनारें रखे कूड़ेदान में ही डालें।

अध्याय – 6

सड़क संकेतक – चेतावनी एवं सूचनात्मक चिन्ह

सड़क संकेतक 03 प्रकार के होते हैं जिनके विषय में हमने पूर्व कक्षा में पढा है तथा हमने निर्देशात्मक संकेतको के विषय में भी विस्तार से जाना। आईये अब चेतावनी तथा सूचनात्मक चिन्हों के विषय में विस्तार से जाने –

- **चेतावनी** (Cautionary)**चिन्ह**–यह चिन्ह सड़क की दशा के विषय में पहले से चेतावनी देने के लिए होते हैं। चेतावनी वाले चिन्ह **त्रिकोण आकार** में होते हैं। यह संकेत संबधित स्थल से पहले प्रदर्शित होते हैं तथा 36 प्रकार के होते हैं।

दाहिने ओर मोड़		यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को निष्प्रभाव करने में सहायक होता है।
बांयी ओर मोड़		यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह स्थिति के अनुसार आपको गाड़ी चलाने में भी मदगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नजर रखने का समय मिलता है। यह अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को भी कम करता है।
दाहिना/बांया हेयर पिन घुमाव		यह चिन्ह विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर तीव्र दाहिना/बांया हेयर पिन घुमाव या मोड़ के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते।
दाहिना/बांया उल्टा मोड़		यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह चालक को दाहिनी/बांयी तरफ टेढ़े–मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर चालक को चाहिए कि वह वाहन की गति को कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए।
संकरी पुलिया		कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते है।
साइकिल क्रॉसिंग		यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं।

पैदल क्रॉसिंग		यह चिन्ह चालक को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पैदल चलने वाले यात्री को रास्ता पार करने दे। ऐसे स्थान पर सड़क का एक भाग सफेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क की जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है।
आगे स्कूल है।		यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे या आसपास कोई स्कूल है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नजदीक सावधानी से वाहन चलाएं।
दाहिने/बांये बाजू आकार मार्ग	 	 दोनो ओर मार्ग– विभाजन यह चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देते है।
पशु		यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकने की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।
गिरती चट्टानें		तोव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/ चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चट्टानें गिरने का खतरा है।
आदमी कार्यरत है		यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि कार्य चल रहा है व मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है और इसीलिए सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है।
खतरनाक–झुकाव		यह चिन्ह आगे के रास्ते पर गहराई को आगाह करता है। ऐसे स्थानों पर चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए।
रेलवे क्रॉसिंग	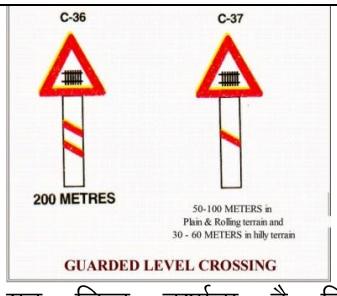 यह चिन्ह दर्शाता है कि क्रमशः 200 मी0 तथा 50 से 100 मी0 आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है जो गार्ड द्वारा सुरक्षित है।	यह चिन्ह दर्शाता है कि क्रमशः 50 से 100 मी0 तथा 200 मी0 आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है जहॉ सुरक्षा के लिये कोई गार्ड तैनात नहीं है। अतः अतिरिक्त सावधानी रखें।

गोल चक्कर (चक्रवत मार्ग)		गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम पवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राईवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी।
तीखा ढलान		तीखी चढ़ाई
संकरी सड़क आगे		चौड़ी सड़क आगे
फिसलन भरी सड़क –यह चिन्ह दिखने पर अपने वाहन की गति कम करें।		**बिखरे कंकड़–पत्थर** – यह चिन्ह दिखने पर अपने वाहन की गति कम करें।
मध्य में दरार – यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाईडर में एक गैप (दरार) है जिससे यू–टर्न की व्यवस्था की गयी है।		**नाव घाट**– यह चिन्ह दर्शाता है कि वहॉ नदी पार करने के लिये नौका सेवा उपलब्ध है।
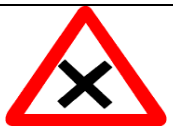 **चौराहा** –यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और सावधानी पूर्वक चौराहा पार करें।		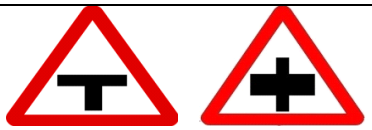 **आगे मुख्य मार्ग है :**
दांये बाजू मार्ग		**बांये बाजू मार्ग**
आवर्त मार्ग संगम– यह चिन्ह दर्शाते हैं कि सीधी सड़क पर दांयी और बांयी ओर मुड़ने के लिये मोड़ उपलब्ध है जिनके बीच छोटी दूरी है।		
उबड़–खाबड़ मार्ग (स्पीड ब्रेकर)		**आगे रूकावट है**

2–सूचनात्मक (Informatory) **चिन्ह–** सड़क सम्बन्धी सूचना प्रदर्शित करने वाले संकेतकों को सूचनात्मक चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों को प्रदर्शित करने का उद्देश्य सड़क पर वाहन चालकों को दिशा, गन्तव्य, स्थान, सड़क किनारें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है। यह चिन्ह चालक के सफर में मददगार होते हैं।

सामान्य तौर पर यह चिन्ह वर्गाकार या आयताकार होते हैं तथा 22 प्रकार के होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा व गन्तव्य तक की दूरी भी दर्शायी जाती है। सूचनात्मक चिन्हों का विवरण निम्नवत् है:–

<table>
<tr><td>पैट्रोल पंप</td><td> </td><td colspan="2">यह चिन्ह आगे मार्ग पर पैट्रोल पंप होने की सूचना देता है।</td></tr>
<tr><td>आम रास्ता नहीं है</td><td>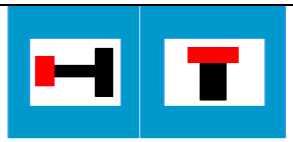</td><td colspan="2">यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि क्रमशः आगे तथा बाजू में आम रास्ता नहीं है।</td></tr>
<tr><td>चिकित्सालय</td><td> </td><td colspan="2">यह चिन्ह आगे मार्ग पर अस्पताल होने की सूचना देता है। अतः ऐसे मार्ग पर चालक को अनावश्यक हार्न नहीं बजाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>भोजन का स्थान</td><td> </td><td colspan="2">यह चिन्ह आगे मार्ग पर रेस्टोरेंट/भोजन का स्थान होने की सूचना देता है।</td></tr>
<tr><td>प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र</td><td> </td><td colspan="2">यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध है जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">
यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल रिक्शा को खड़ा करने के लिये आरक्षित है।</td><td>
यह चिन्ह दर्शाता है कि इंगित दिशा में वाहन खड़े किये जा सकते है।</td><td>
यह चिन्ह दर्शाता है कि दोनों दिशाओं में वाहन खड़े किये जा सकते है।</td><td>
यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल साईकिल खड़ी करने के लिये आरक्षित है।</td></tr>
<tr><td>
यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल मोटर साईकिल/स्कूटर खड़े करने के लिये आरक्षित है।</td><td>
यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल ऑटो रिक्शा खड़ी करने के लिये आरक्षित है।</td><td>
यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल चारपहिया वाहनो को खड़ा करने के लिये आरक्षित है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td colspan="2">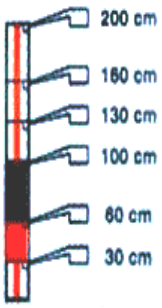

बाढ़ माप चिन्ह– यह चिन्ह नदी /जलाशयों के किनारे प्रदर्शित होता है।</td>
<td>
अल्पाहार (जलपान) – यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के नजदीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है।</td>
<td>
सार्वजनिक टेलीफोन–यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के नजदीक सार्वजनिक टेलिफोन की सुविधा उपलब्ध है।</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">स्थान – दिशा – दूरी, सूचक संकेत।</td>
<td>

स्थान पहचान चिन्ह– यह चिन्ह दर्शाता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है।</td>
<td>

दिशा चिन्ह– यह चिन्ह गन्तव्य स्थान की दिशा तथा दूरी को दर्शाता है।</td>
<td>
विश्राम स्थल –यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के नजदीक विश्राम स्थल की सुविधा उपलब्ध है।
गन्तव्य चिन्ह– यह चिन्ह उस उस स्थान से विभिन्न स्थानों की दिशा तथा दूरी को इंगित करता है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>

पुनरावृत्त चिन्ह– यह चिन्ह उस स्थान से विभिन्न स्थानों की दूरी को इंगित करता है।</td>
<td colspan="2">

अग्रिम दिशा निर्देश चिन्ह– यह चिन्ह उस उस स्थान से विभिन्न स्थानों की दिशा को इंगित करता है। यह मुख्यतः चौराहों से पहले प्रदर्शित किये जाते हैं ।</td>
</tr>
</table>

यातायात के महत्वपूर्ण नियम :– पूर्व के अध्यायों में हमने सड़क पर पैदल चलते समय तथा यात्रा करते समय पालन किये जाने वाले यातायात के नियम तथा जानकारियों को जाना और समझा । आईये अब वाहन चलाते समय पालन किये जाने कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी जाने जो प्रत्येक चालक के लिये आवश्यक हैं –

- **वाहन को सदैव सड़क पर बांई ओर रखकर ही चलायें।**
- **हेलमेट का प्रयोग** – दुपहिया वाहन (स्कूटर, मोपेड, मोटर साईकिल) को चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चालक के साथ–साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हमेशा उच्च गुणवत्ता का बी0एस0आई0 मार्क हेलमेट पहने जो सिर को पूरा ढके तथा

उसका स्ट्रैप सही ढंग से बंधा हो ताकि हेलमेट फिसले नहीं। हेलमेट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में सिर को गंभीर चोट से सुरक्षित रखता है।

- **सीट बैल्ट का प्रयोग** – चौपहिया वाहन में सीट बैल्ट पहनना सभी के लिये अनिवार्य है। सीट बैल्ट को सुरक्षा बैल्ट भी कहा जाता है। वाहन चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो सड़क दुर्घटनाओं या अचानक ब्रेक लगने के समय चोटों की गंभीरता को कम करने में सहायक होता है। सीट बैल्ट सही ढंग से समायोजित होनी चाहिए तथा उसे सुरक्षित रूप से पहनना चाहिए।

- **गतिसीमा**– तीव्र गति दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती है। वाहन को निर्धारित गतिसीमा के अन्तर्गत ही चलाना चाहिए ताकि आकस्मिक स्थिति में वाहन को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके लिये निर्धारित गति सीमा के संकेतक सड़क पर प्रदर्शित होते हैं । ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है।

- **मोबाईल का प्रयोग** – वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाईल फोन के प्रयोग करने से चालक का ध्यान बंट जाता है जिससे उसकी जोखिमो की पहचान तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता धीमी हो जाती हैं। मोबाईल फोन कई तरीके से चालक का ध्यान सड़क मार्ग से हटाकर उसके द्वारा की जा रही बातचीत पर केन्द्रित कर देता है जिससे दुर्घटना की संभावना चार गुना बढ जाती है। अतः वाहन चलाते समय मोबाईल का, ईयर फोन का, हैंड फ्री उपकरणों का प्रयोग नहीं करे ।

- **एंबुलेस तथा आपातकालीन वाहनों** (पुलिस, फायर आदि) को पहले रास्ता दें ।

- सड़क पर यदि बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांग जन सड़क को पार करना चाह रहें हों तो पहले उन्हें सड़क पार करने दें।

- सड़क पर पशु होने पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं।

- वाहन को हमेशा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें ।

अभ्यास प्रश्न –

प्रश्न सं0 – 01 सही चिन्हों से मिलान करें।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	
आम रास्ता नहीं है	
वाहन खड़े करने की जगह	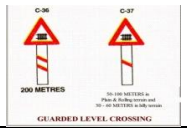
स्थान पहचान चिन्ह	
अल्पाहार	
अग्रिम दिशा निर्देश चिन्ह	
दोनों दिशाओं में वाहन खड़े किये जा सकते है।	
दाहिना उल्टा मोड	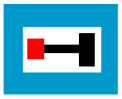
आगे स्कूल है।	
रेलवे क्रॉसिंग है जो गार्ड द्वारा सुरक्षित है।	
पैदल क्रॉसिंग	
खतरनाक –झुकाव	

प्रश्न संख्या 02– सड़क संकेतक या चिन्ह क्या है। उदाहरण के साथ समझायें।

प्रश्न संख्या 03– सूचनात्मक संकेतकों के विषय में पांच उदाहरणों के साथ विस्तार से समझायें।

प्रश्न संख्या 04– निर्देशात्मक चिन्ह तथा चेतावनी चिन्ह में उदाहरण के साथ अन्तर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न संख्या 05– सड़क पर पैदल चलने के पांच नियम लिखिये।

प्रश्न संख्या 06– सड़क पर वाहन में यात्रा करने के पांच नियम लिखिये।

प्रश्न संख्या 07– वाहन चालक के लिये किन्ही चार महत्वपूर्ण नियमों को लिखिये।

प्रश्न संख्या 08– हेलमेट का प्रयोग क्यों किया जाता है।

प्रश्न संख्या 09– सीट बैल्ट नहीं पहनने से क्या हानि हो सकती है।

प्रश्न संख्या 10– तीव्र गति से वाहन चलाना दुर्घटना का कारण है। क्यों?

प्रश्न संख्या 11– वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग दुर्घटना का कारण हो सकता है। समझायें?

अध्याय – 7

वाहन का पंजीयन तथा चालक लाईसेंस।

अब तक हमने सीखा कि सड़क पर पैदल चलते समय, वाहन में यात्रा करते समय तथा साईकिल चलाते समय हमें किन यातायात नियमों तथा सावधानियों का पालन करना चाहिए। हम जानते हैं कि साईकिल को बाजार से सीधा क्रय कर बिना पंजीयन नम्बर के सड़क पर सुरक्षित चलाया जा सकता है। अतः साईकिल को सड़क पर संचालित करने के लिये पंजीयन तथा ड्राईविंग लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम यह सीखेंगे कि ऐसे कौन से वाहन है जिन्हें पंजीकृत कराये बिना सड़क पर संचालित नहीं किया जा सकता है तथा उनके पंजीयन की क्या प्रक्रिया है। साथ ही उनको चलाये जाने हेतु वैध ड्राईविंग लाईसेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

- **मोटर यान** :– मोटर यान का अर्थ है कोई ऐसा यान या यंत्र जो सड़कों पर उपयोग के लिये अनुकूल बना लिया गया है। उसमे नोदन शक्ति किसी बाहरी या आंतरिक स्त्रोत से संचारित होती है जो यान में लगे इंजन या विद्युत मोटर से बनती है। यह इंजन या विद्युत मोटर उसमे प्रयुक्त होने वाले ईंधन (डीजल या पैट्रोल) या बैटरी से चालित होता है जिससे मोटर यान को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। चूकि यह यान इंजन/मोटर से चालित होते हैं अतः इन्हें मोटर यान कहा जाता है। मोटर यान में सभी वाहन जैसे – स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, ट्रक , बस, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, बैटरी चलित वाहन (ई–रिक्शा, ई–कार्ट) आदि सम्मिलित हैं।

मोटर यान पंजीयन से संबधित जानकारी

किसी भी मोटर यान का संचालन करने से पूर्व उसको पंजीकृत कराना अनिवार्य है। मोटर यान का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके लिये आवेदक को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ परिवहन कार्यालय/संबधित वाहन डीलर के माध्यम सें आवेदन करना होता है –

- आवेदन फॉर्म – फॉर्म 20
- यान से संबधित प्रपत्र – फॉर्म 21 (विक्रय प्रपत्र), फॉर्म 22, तथा वाहन का बीमा प्रमाण पत्र।
- फार्म 21 – वाहन डीलर द्वारा वाहन के विक्रय क सम्बन्ध में जारी किया जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र।
- फार्म 22 – वाहन विनिर्माता द्वारा वाहन के रोड में चलने योग्य होने के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र।

पंजीयन के पश्चात् प्रत्येक वाहन को एक विशेष पंजीयन संख्या जारी की जाती है जिसे उस वाहन का पंजीयन क्रमांक कहा जाता है। पंजीयन क्रमांक को वाहन के आगे तथा पीछे निर्धारित स्थान पर पंजीयन प्लेट से प्रदर्शित किया जाता है। वाहन का पंजीयन दो श्रेणियों में किया जाता है **1. निजी 2. व्यावसायिक** । दोनों श्रेणी के यानों की पंजीयन प्लेट का रंग भिन्न होता है जिसमें निजी वाहनों हेतु सफेद रंग तथा व्यवसायिक वाहनों हेतु पीला रंग निर्धारित है । बैटरी से

संचालित वाहनों के लिये हरे रंग की पंजीयन प्लेट निर्धरित है। जबकि प्रत्येक बी0एस0 06 मानक के वाहन में निर्धारित रंग की पंजीयन प्लेट पर हरे रंग की स्ट्रिप (पट्टी) होना भी अनिवार्य है। वर्तमान में पंजीयन चिन्ह हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट (एच0एस0आर0पी0) द्वारा प्रदर्शित करने का नियम है। पंजीयन के पश्चात् वाहन को पंजीयन प्रमाण पत्र (आर0सी0) जारी किया जाता है जिसमें वाहन का पंजीयन क्रमांक, पंजीयन तिथि, वाहन का विवरण तथा वाहन स्वामी का नाम – पता दर्ज होता है। ***अपंजीकृत मोटर यान का संचालन करना नियम विरूद्ध है, ऐसा करने पर ऐसे यान को निरूद्ध किये जाने का प्राविधान है।***

➢ यह भी जानें –

किसी भी मोटर यान को जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र उस वाहन की श्रेणी के अनुसार विभिन्न अवधियों के लिये वैध होता है।

निजी वाहनों को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र :– ऐसे यान जो व्यक्तिगत/परिवारिक सदस्यों के प्रयोग हेतु निजी रूप में पंजीकृत किये जाते हैं निजी यान कहलाते हैं। जिन निजी यानों की बैठक क्षमता 07 तक होती है उनको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता पंजोयन तिथि से 15 वर्ष तक होती है। इनकी पंजीयन प्लेट का रंग सफेद होता है।

ऐसे निजी वाहन जिनकी बैठक क्षमता 07 से अधिक होती है को पंजीयन की तिथि से 02 वर्ष के लिये ठीक हालत में माना जाता है तथा दो वर्ष पश्चात् अग्रिम 06 वर्षों तक दो–दो वर्ष का स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पंजीयन तिथि से 08 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) प्राप्त करना अनिवार्य है।

व्यवसायिक वाहनों को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र –ऐसे यान जिनका प्रयोग किराया या भाड़ा देकर सार्वजनिक रूप से किया जाता है व्यावसायिक यान कहलाते है। जैसे– टैक्सी, ऑटो ट्रक, बस आदि । इनकी पंजीयन प्लेट का रंग पीला होता है।

अब हम यह सीख चुके है कि किसी भी यान को संचालित करने से पूर्व उसको पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसक साथ ही हमें यह भी जानना आवश्यक है कि वाहन के पंजीयन पमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कौन से आवश्यक प्रपत्र हैं जो यान के संचालित किये जाने के समय साथ रखना अनिवार्य हैं।

बीमा या इंश्योरेंस– प्रत्येक मोटर यान को जारी वह प्रमाण पत्र जो वाहन के चोरी/दुर्घटना/क्षति के आर्थिक जोखिम को कम करता है उस मोटर यान का बीमा या इंश्योरेंस कहलाता है। किसी भी बीमा कंपनी द्वारा जारी ऐसा प्रमाण पत्र समस्त प्रकार क वाहनों के लिये सामान्यतः 01 वर्ष के लिये वैध होता है। इसके अतिरिक्त निजी तथा व्यावसायिक श्रेणी के दुपहिया वाहन तथा चौपहिया वाहन (कार, टैक्सी) के लिये थर्ड पार्टी बीमा करवाना भी अनिवार्य है जिसकी वैधता दुपहिया वाहन के लिये 05 वर्ष तथा चौपहिया वाहन के लिये 03 वर्ष होती है। वाहन संचालन के समय वैध बीमा प्रमाण पत्र को रखना अनिवार्य है।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र :– वाहनो का प्रदूषण मुक्त होना हमारे पर्यावरण के लिये अतिआवश्यक है। इसके लिये समय–समय पर वाहनों की प्रदूषण जांच कराया जाना अनिवार्य है। अतः नियमानुसार वाहन के प्रदूषण की जांच अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र से कराते हुए "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र" वाहन में अन्य प्रपत्रों के साथ रखना अनिवार्य है। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता निम्न प्रकार निर्धारित की गई है –

1. भारत स्टेज 4 के मानक के अनुरूप निर्मित वाहनों के संबध में 01 वर्ष ।
2. भारत स्टेज 4 से कम मानक की वाहनों के संबध में 06 माह ।

फिटनेस प्रमाण पत्र –परिवहन कार्यालय द्वारा किसी यान का फिटनेस प्रमाण पत्र फॉर्म 38 पर जारी किया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक यान तथा ऐसे निजी यान जिनकी बैठक क्षमता 07 से अधिक होती है ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रिकरण की तिथि से 02 वर्ष के लिये ठीक हालत म माना जाता है तथा दो वर्ष पश्चात् अग्रिम 06 वर्षों तक दो–दो वर्ष का स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । रजिस्ट्रिकरण तिथि से 08 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) प्राप्त करना अनिवार्य है।

ड्राईविंग लाईसेंस – किसी भी श्रेणी के यान को चलाने हेतु चालक के पास वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है जिसे परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

ड्राईविंग लाईसेंस से संबधित जानकारी –मुख्यतः दो प्रकार के ड्राईविंग लाईसेंस होते हैं।

- प्रशिक्षु लाईसेंस ।
- स्थायी लाईसेंस।

प्रशिक्षु लाईसेंस (सीखने वाले का लाईसेंस) :– यह एक अस्थाई लाईसेंस है जो छः माह के लिये वैध होता है। इसे निर्धारित नियमों के अन्तर्गत मोटर वाहन चलाने हेतु जारी किया जाता है। प्रशिक्षु वाहन चालक को अपने वाहन में L अक्षर को बड़े–बड़े लाल अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है ताकि अन्य वाहन चालकों को जानकारी हो सके कि आप वाहन चलाना सीख रहे हैं। इसके अतिरिक्त साथ में स्थायी लाईसेंस धारक प्रशिक्षित चालक बैठा होना अनिवार्य है।

स्थायी लाईसेंस – स्थायी लाईसेंस आपको वैध ड्राईविंग के लिए प्राधिकृत करता है। प्रशिक्षु लाईसेंस जारी होने की तिथि से एक माह पूर्ण होने पर स्थायी लाईसेंस के लिये आवेदन किया जा सकता है।

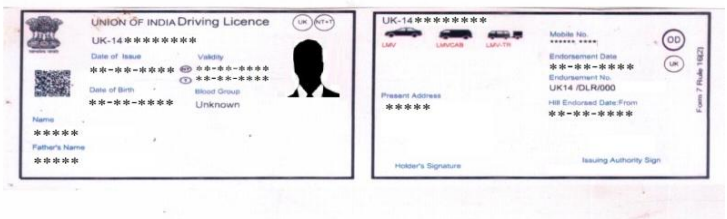

पात्रता–ड्राईविंग लाईसेंस के आवेदक की उम्र आवेदन की तारीख के दिन 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए (व्यावसायिक वाहनों हेतु आवेदक की उम्र 20 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और 50 सीसी तक के इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिये आवेदक की उम्र 16 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और साथ ही उसके अभिभावक/संरक्षक की सहमति होनी चाहिए)। आवेदक को यातायात के नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।

पशिक्षु लाईसेंस कैसे प्राप्त करें :– वर्तमान में राज्य में लाईसेंस प्राप्त करने हेतु ऑन लाईन माध्यम् से आवदेन करने की प्रकिया प्रचलित है। इसके लिये निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं – 1. ऑन लाईन आवेदन फॉर्म 2. निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति 3. आयु प्रमाण पत्र की मूल प्रति 4. फॉर्म न0 01ए में चिकित्सा प्रमाण पत्र 5. फॉर्म 01 में चिकित्सा फिटनेस की स्वः घोषणा। समस्त दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदक को कार्यालय में ऑन लाईन परीक्षा के लिये उपस्थित होना होता है। शिक्षार्थी लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक को कुछ विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है जैसे – यातायात चिन्ह, सड़क संकेतक और यातायात के नियम के साथ ही दुर्घटना होने पर कर्तव्यों एवं सावधानियां, वाहन संबधित प्रपत्रों की यथोचित जानकारी एवं समझ होना आवश्यक है। परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों में से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देने पर ही आवेदक को प्रशिक्षु लाईसेंस जारी किया जाता है।

स्थाई लाईसेंस कैसे प्राप्त करें – आवेदक के पास स्वयं का वैध प्रशिक्षु लाईसेंस होना चाहिए। प्रशिक्षु लाइसेंस जारी तिथि से 30 दिन के पश्चात् तथा 180 दिवसों के भीतर स्थाई लाईसेंस हेतु ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है। दस्तावेजों की जांच के पश्चात् कार्यालय में सिमुलेटर तथा मैनुअल ड्राईविंग टैस्ट में पास होने पर ही स्थाई लाईसेंस जारी किया जाता है। यदि आवेदक ड्राईविंग टैस्ट में असफल हो जाता है तो पुनः 07 दिवस पश्चात् ड्राईविंग टैस्ट में भाग ले सकता है।

परिवहन विभाग एवं विभागीय उद्देश्य

किसी भी प्रदेश के आर्थिक सामाजिक एवं औद्योगिक प्रगति हेतु सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राज्य का परिवहन विभाग, परिवहन क्षेत्र को अधिकाधिक नियमित, जनोपयोगी एवं सुरक्षित बनाने का कार्य करता है। विभाग के मुख्य उददेश्य निम्नलिखित है –

- मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों का पंजीयन सुनिश्चित करना ।
- मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्राविधानों के अनुसार चालकों को लाईसेंस जारी करना।
- वाहनों से करों की वसूली कर राजस्व प्राप्त करना।
- मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्राविधानों के अनुसार प्रवर्तन कार्यवाही द्वारा सड़क दुर्घटनाओं/अनाधिकृत संचालन पर नियंत्रण।
- अधिकाधिक जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
- वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 19 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय तथा चार संभागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय स्थापित है। परिवहन विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है।

- परिवहन विभाग द्वारा मुख्यतः जिन अधिनियम तथा नियमावलियों के अधीन कार्य किया जाता है उनमें मोटर यान अधिनियम 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 मुख्य है।

- मोटर यान अधिनियम 1988– यह अधिनियम मोटर यानों से संबधित विधि को समेकित एवं संशोधन करने हेतु भारतीय ससद द्वारा पारित अधिनियम है। यह 01 जुलाई 1989 से भारत गणराज्य में प्रवृत्त हुआ है।

- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989– मोटर यान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी है।

मोटर यान अधिनियम 1988(संशोधित 2019) के अधीन पंजीयन तथा लाईसेंस से संबधित अपराध एवं प्रशमन शुल्क

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 418/ix-1/53/2019 देहरादून दिनांक 24 सितंबर 2019 के द्वारा संशोधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन विभिन्न धाराओं में वर्णित अपराधों के लिए प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इन धाराओं का उल्लंघन करने पर चालान की कार्यवाही कर प्रशमन शुल्क वसूला जाता है। कुछ धाराओं में चालान पुलिस विभाग द्वारा भी किये जाते है। पंजीयन तथा लाईसेस से संबधित धारा एवं प्रशमन शुल्क निम्न प्रकार हैः—

क्र0सं0	धारा	अपराध का विवरण		निर्धारित प्रशमन शुल्क (रूपये में)
1	177	अपराधो के लिये साधारण उपबंध	प्रथम अपराध के लिये	500
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	1500
2	179(1)	प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशों/आदेशों का उल्लंघन		2000
3	179(2)	प्रवर्तन अधिकारी को गलत सूचना देना या तथ्य छिपाना		2000
4	180	अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने के लिये देना (बिना लाईसेंस)		2500
5	181	धारा 3/4 के उल्लंघन कर वाहन चलाना (बिना लाईसेंस)		2500
6	182(1)	चालन अनुज्ञप्ति धारण/प्राप्त करने हेतु अनर्ह होने पर वाहन चलाना, लाईसेंस हेतु आवेदन करना		5000
7	182(2)	परिचालक अनुज्ञप्ति धारण/प्राप्त करने हेतु अनर्ह होने पर वाहन परिचालक के रूप में कार्य करना, लाईसेंस हेतु आवेदन करना		5000
8	182(ए)(4)	वाहन में बिना अनुमति परिवर्तन करना (वाहन स्वामी द्वारा)		5000
9	190(2)	सड़क सुरक्षा/शोर मानक/वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करना	प्रथम अपराध के लिये	2500
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	5000
10	192	बिना पंजीयन / बिना फिटनेस वाहन चलाना	प्रथम अपराध के लिये	5000
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के	10000

			लिये		
11	**196**	बिना बीमा वाहन चलाना	दुपहिया/तिपहिया वाहन	प्रथम अपराध के लिये 1000	द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिये 2000
			अन्य वाहन	प्रथम अपराध के लिये 2000	द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिये 4000

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न संख्या – 01 मोटर यान किसे कहते हैं। इन्हें कितनी श्रेणियों विभाजित किया गया है उदाहरण सहित समझाईये।

प्रश्न संख्या – 02 मोटर यान का पंजीयन कैसे किया जाता है। पंजीयन से संबधित प्रपत्रों के विषय में बताईये।

प्रश्न संख्या – 03 लाईसेंस कितने प्रकार के होते हैं इन्हें प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को समझाईये।

प्रश्न संख्या – 04 परिवहन विभाग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए ।

प्रश्न संख्या – 05 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए –

- पंजीयन प्लेट ।
- बीमा या इंश्योरेस।
- प्रदषण प्रमाण पत्र।
- फिटनेस प्रमाण पत्र ।
- स्थाई लाईसेंस ।
- यान की पंजीयन वैधता।

प्रश्न संख्या – 06 मोटर यान अधिनियम क्या है? पजीयन तथा लाईसेंस से संबधित अपराध तथा प्रशमन शुल्क लिखिए।

अध्याय – 8

दुपहिया वाहन चालक के लिये नियम एवं सावधानियां

भारत में दुपहिया वाहन यातायात का प्रमुख साधन है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो दुपहिया वाहन का प्रयोग कर रहा है, को संबधित नियमों तथा सावधानियों की जानकारी होना आवश्यक है। दुपहिया वाहन चालक के लिये आवश्यक नियम व सावधानियां निम्नलिखित है–

चालक लाईसेंस– दुपहिया वाहन चलाने के लिये चालक के पास वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है। बिना वैध लाईसेंस के वाहन चलाना नियम विरूद्ध है। चालक लाईसस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है (50 सीसी तक इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिये आवेदक की उम्र 16 वर्ष पूर्ण तथा अभिभावक/संरक्षक की सहमति होना अनिवार्य है)।

वाहन के प्रपत्र– वाहन चलाते समय वाहन के मूल प्रपत्र(पंजीयन प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र,चालक का लाईसेंस) साथ रखना अनिवार्य है।

वाहन की जांच– वाहन चलाने से पूर्व अपने वाहन की लाइटें तथा ब्रैकलाईट, हैडलाईट, गियर, साइड मिरर, टायर आदि की जॉच अवश्य कर लें। खराब हालत में यान को सड़क पर चलाना नियम विरूद्ध है।

रजिस्ट्रीकरण प्लेट– यान के आगे–पीछे दृश्य और सुस्पष्ट पंजीकृत प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रीकरण प्लेट पर पंजीयन क्रमांक को छोड़कर कोई भी अक्षर/शब्द/आकृति या प्रतीक प्रदर्शित करना तथा बिना रजिस्ट्रीकरण प्लेट के वाहन चलाना नियम विरूद्ध है। उत्तराखण्ड राज्य में एच0एस0आर0पी0 लगाना अनिवार्य है।

यान में परिवर्तन – वाहन विनिर्माता द्वारा बनाये गये डिजाईन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (फैन्सी लाईट, मल्टीटोनहार्न, हैंडल की लंबाई में परिवतन, साईलेंसर को परिवर्तित करना, साईड मिरर हटाना इत्यादि) नहीं करें। यह नियम विरूद्ध है तथा उल्लंघन करने पर चालान तथा जुर्माने का प्राविधान है।

सड़क संकेतकों का अनुपालन :– सड़क पर वाहन चलाते समय प्रत्येक चालक को सड़क संकेतकों तथा ट्रैफिक लाईट का अनुपालन करना अतिआवश्यक है। पिछले अध्यायों में हमने सड़क पर प्रदर्शित किये जाने वाले तीन प्रकार के संकेतकों का अध्ययन किया है।

निर्देशात्मक चिन्ह		चेतावनी चिन्ह		सूचनात्मक चिन्ह	
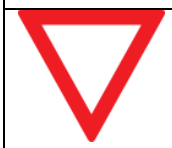					

यातायात नियन्त्रण सिग्नल :– चौराहों या तिराहों पर ट्रैफिक लाईट द्वारा दिये जाने वाले संकेतों का पालन करना अनिवार्य है। सिग्नल पर पहुॅचते समय वाहन की गति धीमी करते हुये निम्न तरीकों से दिये गये नियंत्रण सिग्नलों का अनुपालन करें –

लाल यातायात बत्ती :– चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल की लाल बत्ती होने पर वाहन को रोकना अनिवार्य है।

हरी यातायात बत्ती :– चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर हरी बत्ती जल रही या चालू है तब वाहन को बिना रोके चौराहा पार करें।

नारंगी या पीली यातायात बत्ती – चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर नारंगी या पीली बत्ती जलती दिखने पर वाहन को रोकने के लिये तैयार होना होता है।

यान की लाईटें –वाहन के लाईट उपकरण हर समय अच्छे काम की स्थिति में रखें । उपकरण किसी वस्तु या धूल से ढके नही होने चाहिए । साय काल, रात को तथा सुबह जब दृश्यता बहुत कम होती है तब हेड लैंप का प्रयोग करें। दुपहिया वाहन चालक को दिन के दौरान भी अपने वाहन की हैड लाईट को लो बीम में रखना चाहिए।

अप्रैल 2017 से नये दुपहिया वाहनों म सुरक्षा के दृष्टिगत **ऑटोमेटिक हेडलेंप ऑन** को अनिवार्य कर दिया गया है अर्थात वाहन का इंजन जब तक ऑन रखा जायेगा वाहन की हेड लैंप तब तक जलता रहेगा।

हॉर्न का प्रयोग – किसी वाहन में विनिर्माता द्वारा लगाया गया हॉर्न नियमानुसार डेसिबल मानक का होता है। मल्टीटोन/प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नियमविरूद्ध है। हॉर्न के संबध में निम्नलिखित नियम हैं –

हॉर्न का प्रयोग कहॉ अवश्य करें –

- मोड़ों पर।
- ओवरटेक करते समय।
- ब्रांच रोड से मेन रोड पर आने के लिये ।

हॉर्न का प्रयोग कहॉ कदापि न करें –

- हॉस्पिटल तथा स्कूल के आसपास ।
- पहाड़ों में भू–स्खलन वाले स्थानों पर।

हेलमेट का प्रयोग– चालक एवं सहचालक दोनों के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटना में होने वाली अधिकतर मृत्यु सिर पर चोट लगने के कारण होती हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट सिर पर लगने वाली गंभीर चोट की संभावना को कम कर देता है। प्रायः यह देखने में आता है दुपहिया चालक ऐसे हेलमेट का प्रयोग करता है जो उसके सिर की सुरक्षा के स्थान पर उसकी टोपी का कार्य करता प्रतीत होता है जो सरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। सदैव उच्च गुणवत्ता के बी.एस.आई. मार्क के हेलमेट का प्रयोग करें जो आपके सिर को पूरा ढके तथा उसकी स्ट्रेप सही ढंग से बंधी हो जिससे हेलमेट फिसले न। चालक सहचालक द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करने पर चालान/जुर्माने का प्राविधान है। चालक का लाइसेंस भी न्यूनतम एक माह के लिए निलम्बित किया जायेगा।

यह भी जानें –

- **दुपहिया वाहन चालक तथा सवारी दोनों के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य है**:– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के आदेशानुसार दुपहिया वाहन में हैल्मेट न पहनने पर चालान होने पर संबधित चालान के प्रशमन/निस्तारण से पूर्व सम्बन्धित चालक/सहचालक को सड़क सुरक्षा नियमों के सम्बन्ध में 02 घण्टे की काउंसलिंग/जानकारी प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। चालक का लाइसेंस भी न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित किया जायेगा।

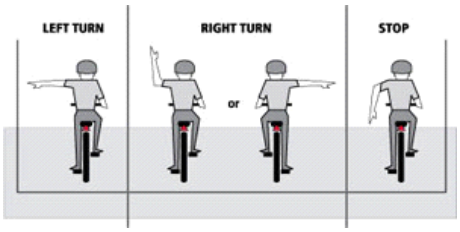

➢ **दुपहिया वाहन में दो से अधिक सवारी बैठाना नियम विरूद्ध है** – विनिर्माता द्वारा दुपहिया वाहन को दो सवारी के यातायात हेतु डिजाईन किया गया है जिसमें दो से अधिक सवारी बैठने पर जहॉ वाहन की यांत्रिक दशा प्रभावित होती है वहीं दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है।

➢ **दायें अथवा बायें मुड़ने से पूर्व इंडिकेटर/हैंड सिग्नल का प्रयोग अवश्य करें** – 1. वाहन को सड़क के बांई ओर रखते हुये चलायें और विपरीत दिशा से आने वाले यातायात को अपनी दायीं ओर से निकलने दें।

➢ सड़क पर कोई भी क्रिया करने, लेन बदलने या दायें अथवा बायें मुड़ते समय साईड इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि साईड इंडिकेटर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आवश्यक हैंड सिग्नल का प्रयोग करना चाहिए ।

➢ **ओवर टेकिंग** –गलत ढंग से तथा गलत स्थान पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है। अतः ओवर टेकिंग के नियम को जानना आवश्यक है। जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है–

➢ वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व हॉर्न दें तथा सामने वाले वाहन चालक द्वारा उचित संकेत देने पर ही ओवरटेक करें।

➢ मोड़ों पर ओवरटेक कभी भी न कर।

➢ ओवरटेक करते हुये वाहन को कभी भी ओवरटेक न करें।

➢ **लाल बत्ती को लांघना** – सडक चौराहों पर यह नजारा आम बात है कि यान चालक लाल बत्ती की परवाह किये बगैर वाहन पार करते हैं, मकसद समय बचाना, ईंधन बचाना है। लाल बत्ती लांघने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपना जीवन जोखिम में डालता है, बल्कि अन्य प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिये भी खतरा पैदा करता है। यह प्रवृत्ति अन्य चालकों को भी ऐसा करने के लिए उकसाती है। लाल बत्ती लांघने पर चालान तथा जुर्माने के साथ ही चालक के लाईसेंस को न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित करने का प्राविधान है।

➢ **निर्धारित गति सीमा** :– ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। अतः वाहन को सदैव निर्धारित गति में ही चलायें ताकि वाहन को आकस्मिक स्थिति में आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके लिये निर्धारित गति सीमा के संकेतक सड़क पर प्रदर्शित होते हैं, संकेतकों का पालन करें। निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति में वाहन चलाते पाये जाने पर चालान/जुर्माने के साथ ही लाईसेंस के विरूद्ध कार्यवाही तथा न्यूनतम 3 माह के लिए निलम्बित करने का प्राविधान है।

➢ **सडक पर अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाये रखना** –

1. सड़क पर खड़ वाहनों से उचित दूरी बनाते हुये वाहन का संचालन करें जिससे अकस्मात किसी वाहन का दरवाजा खोले जाने पर अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। ऐसी स्थिति में हॉर्न या डिपर का प्रयोग अवश्य करें।

2. अपने से आगे चलने वाले वाहन से उचित दूरी बनाते हुये यान को संचालित करना चाहिए जिससे आगे चल रहे वाहन के अचानक की गयी किसी भी क्रिया पर अपने यान को ब्रैक लगाकर सुरक्षित दूरी पर रोका जा सके।

➢ **मोबाईल फोन और संचार युक्तियों का उपयोग** :– किसी भी वाहन को चलाते समय मोबाईल फोन, ईयर फोन या अन्य संचार युक्तियों का प्रयोग करना दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है तथा यह नियम विरूद्ध है ऐसा करते पाये जाने पर चालान/जुर्माने के साथ ही साथ ही 24 घंटे के लिये मोबाईल फोन को जब्त किये जाने का प्राविधान तथा चालक का लाइसेंस न्यूनतम 3 माह के लिए निलम्बित किया जायेगा। जैसे– सम्मुख चित्र में प्रदर्शित चालक। ऐसी स्थिति मे जब मोबाईल का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हो तो वाहन को सुरक्षित किनारे खड़ा कर बात करें।

➢ **सड़क पर बरती जाने वाली अन्य सावधानियां** –1. स्कूटर/मोटर साईकिल से किसी भी प्रकार का स्टंट/रैश ड्राईविंग न करें। मोटर साईकिल से सड़कों पर स्टंट करना जैसे – एक टायर पर वाहन को चलाना, एक तरफ झुकाकर वाहन को चलाना, बिना हैंडल पकड़े वाहन को चलाना, सीट पर बिना बैठे/खड़े होकर चलाना, वाहन को चलाने के खतरनाक तरीके हैं जो नियम विरूद्ध हैं।

➢ स्कूटर, मोटर साईकिल चालक या सवार द्वारा अन्य वाहन को धकेलना या ट्रॉली या ट्रकों की चेन को पकड़ कर साथ–साथ चलना जैसे जोखिम भरा कार्य करना नियम विरूद्ध है।

➢ सड़क या गली में पानी, कीचड़, रेत इत्यादि होने पर टायर की सड़क से पकड़ कम हो जाती है। ऐसी दशा में सड़क या गली को सुरक्षित धीमी गति से पार करना चाहिए।

➢ व्यस्त यातायात में आगे निकलने की होड कदापि नहीं करें यह स्वयं तथा अन्य सड़क प्रयोक्ता के लिये खतरनाक हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न संख्या – 01 दुपहिया वाहन चलाने से संबधित नियमों को संक्षेप में लिखिये।

प्रश्न संख्या – 02 ट्रैफिक लाईट का पालन करने संबधित नियमों को समझाईये।

प्रश्न संख्या – 03 सड़क संकेतक कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक के दो–दो उदाहरण दीजिये।

प्रश्न संख्या – 04 ओवर टेकिंग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए ?

प्रश्न संख्या – 05 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए –

(a) हेलमेट का प्रयोग **(b) लाल बत्ती**

(c) निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना **(d) हॉर्न का प्रयोग**

प्रश्न संख्या – 06 सड़क पर बरती जाने वाली अन्य सावधानियां लिखिये।

प्रश्न संख्या – 07 पंजीयन से संबधित धारा एवं अपराधो का उल्लेख कर प्रशमन शुल्क बताइये।

प्रश्न संख्या – 08 लाईसेंस से संबधित धारा एव अपराधों का उल्लेख कर प्रशमन शुल्क बताइये।

प्रश्न संख्या – 09 बिना हेल्मेट दुपहिया वाहन चलाने से संबंधित धारा एवं प्रशमन शुल्क बताइये।

अध्याय – 9

चार पहिया वाहन चालकों के लिये आवश्यक सावधानियां एवं नियम ।

विगत कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी विकास के कारण ऑटोमोबाईल उद्योग में तीव्र प्रगति हुई है। जिस कारण सड़क पर वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही हैं। वाहनों के संचालन को सुगम बनाने के लिये जहाँ तकनीकी को विकसित किया जा रहा है वहीं सड़क पर सुरक्षा हेतु अधिक प्रभावी नियमों को भो बनाया गया है, परन्तु सामान्य तौर पर वाहन चालक जहाँ नई तकनीकी के प्रति आकर्षित हैं वहीं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति उदासीन है जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। अतः सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता – **यान चलाने वाला व्यक्ति या यान में सवारी करने वाला व्यक्ति या पैदल व्यक्ति,** सभी का यह कर्त्तव्य है कि वह सड़क तथा यातायात नियमों के विषय में जानकारी रखे तथा उनका पूर्णतः पालन भी करें। पूर्व में हम पैदल यात्री, वाहन में सवार यात्री, साईकिल सवार, व दुपहिया वाहन चालक के लिये आवश्यक सावधानियों एवं नियमों को सीख चुके हैं। आईये अब हम चौपहिया वाहन(कार/जीप इत्यादि) चालकों के लिये आवश्यक सावधानियां एवं नियमों को जानते हैं ।

वाहन चलाने के लिये महत्वपूर्ण नियम

- **ड्राईविंग लाईसेंस** – किसी भी वाहन को चलाने हेतु चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। बिना वैध लाईसेंस के वाहन चलाने पर चालान तथा जुर्माने के साथ वाहन को निरूद्ध करने प्राविधान है।
- **वाहन का पंजीयन** – वाहन के नियमानुसार पंजीकृत होने पर ही वाहन को चलायें। बिना पंजीयन वाहन चलाने पर चालान/जर्माने का प्राविधान है। वाहन को निरूद्ध भी किया जा सकता है। वाहन के मूल प्रपत्र (पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, चालक का लाईसेंस) सदैव साथ रखें।
- **वाहन का रख–रखाव** – अपने वाहन के विषय में पूर्ण जानकारी रखें। वाहन चलाने से पूर्व वाहन की सभी लाइटें, मिरर, ब्रेक, तथा टायर आदि की जांच अवश्य कर लें। वाहन की नियमित सर्विस/जांच करवायें।
- **वाहन में परिवर्तन** – वाहन विनिर्माता द्वारा बनाये गये डिजाईन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (फैन्सी लाईट, मल्टी टोन हॉर्न, रंग, क्रैश गार्ड का प्रयोग इत्यादि) नहीं करें। साथ ही वाहन में पद अथवा नाम विशेष की पट्टिका, स्टीकर या प्रतीक का प्रदर्शन तथा अनाधिकृत बत्ती लगाना नियम विरूद्ध है तथा उल्लंघन करने पर चालान तथा जुर्माने का प्राविधान है।
- **सीट बैल्ट** – वाहन चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो सड़क दुर्घटना के समय चोट की गंभीरता को कम करने में सहायक होता है। सीट बैल्ट सही ढंग से बांधा हुआ होना चाहिए। पर्वतीय मार्गों पर सीट बैल्ट पहनना उतना ही सुरक्षित है जितना मैदानी मार्गों पर। चौपहिया वाहनों में सीट बैल्ट का प्रयोग चालक सहित सभी यात्रियों के लिये अनिवार्य है। वाहन चलाते समय सीट बैल्ट न पहनने पर चालान/जुर्माने का प्राविधान है।

- **हॉर्न का प्रयोग** – किसी भी वाहन में लगाया जाने वाला हॉर्न नियमानुसार डेसिबल मानकों का होना अनिवार्य है। हार्न का अनावश्यक प्रयोग करना निषिद्ध है। हॉर्न का प्रयोग तभी करना चाहिए जब चालक को स्वयं या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता के लिये खतरे की आशंका हो या अनिवार्य संकेतको द्वारा निर्देशित किया गया हों। मल्टीटोन/प्रेशर हॉर्न जो कर्कश , चुभती हुई या ऊँची तथा खतरनाक आवाज करते हैं, का प्रयोग नियम विरूद्ध है।
- **लाईट/डिप्पर/फॉग लैंप का प्रयोग** – वाहन के सुगम संचालन के लिये प्रत्येक वाहन में लाईट/इंडिकेटर/डिप्पर/फॉग लैंप का होना अनिवार्य है। यान के लाईट उपकरण हर समय अच्छे से काम करने की स्थिति में होने चाहिए । सांय काल, रात को, और सुबह जब दृश्यता बहुत कम होती है निर्दिष्ट प्रकाश उपकरणों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जैसे–
  - रात्रि के समय लंबी अवधि तक, सीधी व्यस्त सड़कों पर/अच्छी तरह से प्रकाशित सड़क पर हाई बीम लाईट का प्रयोग न करें तथा सामने से आने वाले यान के निकट पहुंचने पर या किसी यान के पीछे बहुत निकट पंहुचने पर हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
  - मोडों पर रात्रि के समय डिप्पर का प्रयोग अवश्य करें जिससे दूसरी ओर से आने वाले वाहन को संकेत मिल सके।
  - रात्रि में किसी भी वाहन को ओवरटेक करते समय डिप्पर का प्रयोग करें।
  - सर्दी के मौसम में कोहरा/धुंध होने पर फॉग लैंप तथा पार्किंग लाईट का प्रयोग करें जिससे सामने तथा आपके पीछे से आने वाले वाहनों को आपकी स्थिति की जानकारी हो सके। (लंबी अवधि तक सिर्फ पार्किंग लाईट को जलाकर यान न चलायें जब तक कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने को न कहा जाय।)
  - वाहन में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत बत्ती तथा चकाचौंध लाईट का प्रयोग करना नियम विरूद्ध है।
- **इंडिकेटर तथा हैंड सिग्नल का प्रयोग**–सड़क पर कोई भी क्रिया करने, लेन बदलने या दायें अथवा बायें मुड़ते समय साईड इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए । यदि साईड इंडिकेटर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आवश्यक हैंड सिग्नल का प्रयोग करना चाहिए ।

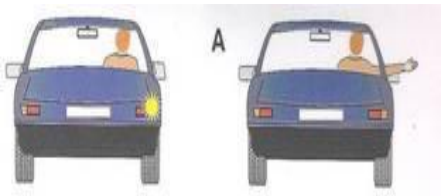

चालक निम्न निर्दिष्ट किये गये हैंड सिग्नल का प्रयोग आवश्यकतानुसार कर सकता है –

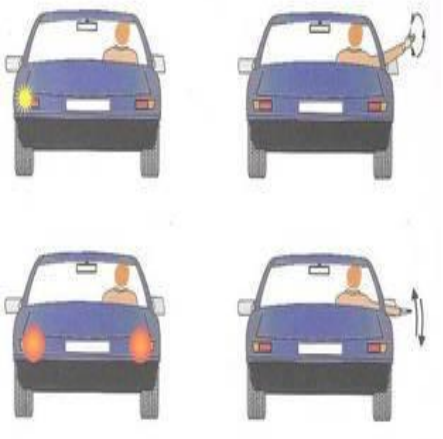

1. दांई ओर मुड़ने या अन्य यान को पार कर सड़क के दांई आर यान चलाने के लिये चालक को अपना दांया हाथ यान के बाहर निकालकर अपने यान के दांई ओर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाना चाहिए।
2. बाईं ओर मोड़ने या सड़क के बाएं हाथ की ओर यान चलाने के लिये चालक को अपने दाहिना हाथ बाहर निकालकर वामावर्त दिशाा में घुमाना होगा।

3. यान रोकने के लिये चालक को अपना दाया हाथ यान के बाहर निकालकर लंबवत उठाना चाहिए।

4. चालक अपने पीछे आने वाले यान को अपने से आगे जाने देने के लिये संकेत दे सकता है। ऐसा करने के लिये चालक अपना दायां हाथ यान के दाईं ओर क्षैतिज अवस्था में बाहर निकालेगा और अर्ध गोलाकार लय में आगे और पीछे घुमाएगा।

- **यू–टर्न** –किसी भी वाहन चालक को सड़क पर निर्धारित यू–टर्न स्थान से ही यू – टर्न लेना चाहिए, यू–टर्न किसी भी दशाा में निम्नलिखित सड़क/स्थानों पर नहीं लेना चाहिए–
  - ✓ जहाँ कथित यू टर्न एक सड़क संकेतक या यातायात चिन्ह द्वारा निषिद्ध है।
  - ✓ ऐसी सड़क जो निरंतर यातायात के प्रवाह से व्यस्त हो।
  - ✓ प्रमुख सड़क, राजमार्ग या चौड़े रास्ते/एक्सप्रेसवे से गुजरते समय।
  - ✓ निरंतर एकल या दोहरी ठोस रेखा के आरपार।
- **लेन यातायात** – लेन यातायात अर्थात जहॉ किसी सड़क को यातायात के लिये लेन या पंक्ति में चिन्हित किया जाता है वहॉ चालक के लिये लेन के भीतर यान चलाना और केवल उपयुक्त संकेत देकर लेन बदलना आवश्यक है। लेन यातायात में वाहन चलाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन अव" य करें –
- **एकल खंडित रेखा**– ऐसी सड़क जिसके साथ–साथ एक खंडित रेखा चिन्हित है चालक यान चलाते समय उस खंडित रेखा को केवल ओवरटेंकिग करते समय ही पार करेगा अर्थात आवश्यकतानुसार ऐसी रेखा के ऊपर से वाहन को संचालित कर सकते हैं या ओवर टेक कर सकते है। किन्तु ऐसा तभी करना चाहिए जब ऐसा करना पूर्णतया सुरक्षित हों और वापस अपनी लेन पर आ जायें।

- **एकल ठोस रेखा**– एकल ठोस रेखा चाहे वह सफेद हो या पीली हा उसे पार कर दूसरी लेन में नहीं जाना चाहिए, न ही उस पर चलना चाहिए।

- **एकल खंडित तथा ठोस रेखा**– ये रेखा एकल टूटी तथा एकल ठोस रेखा का मिश्रण होती हैं। यदि एकल ठोस रेखा आपकी ओर है तो उसे पार नहीं करना चाहिए और यदि एकल टूटी रेखा आपकी ओर है ता उसे आवश्यकतानुसार ओवरटेक कर सकते हैं, जब ऐसा करना पूर्णतः सुरक्षित हो।

- **दोहरी ठोस रेखा** – सड़क पर दोहरी ठोस रेखा होने पर किसी भी दिशा से आने वाले यातायात को मध्य रेखा से पार करने की अनुमति नहीं होती है।

1. **<u>ओवर टेकिंग (पिछेलना/पार करना)</u>**—गलत ढंग से तथा गलत स्थान पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो सकता है। अतः ओवर टेकिंग के नियम को जानना आवश्यक है। सुरक्षित ओवरटेकिंग करने के नियम निम्नलिखित है—

- ✓ किसी भी वाहन को केवल दांयी ओर से ही ओवर टेक या पार करना चाहिए। यान को तभी ओवरटेक करें जब ऐसा करना नियमतः सुरक्षित हो।
- ✓ वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व हॉर्न/डिप्पर का प्रयोग करें तथा आगे वाले वाहन चालक द्वारा उचित संकेत देने पर ही ओवरटेक करें।
- ✓ मोड़ों पर ओवरटेक कभी भी न करें।
- ✓ ओवरटेक करते हुये वाहन को कभी भी ओवरटेक न करें।
- ✓ ऐसी सड़क जिसे एकल या दोहरी ठोस रेखा द्वारा चिन्हित किया गया है को पार कर ओवरटेक नहीं करें।

- **गति सीमा** – परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये वाहन को निर्धारित गतिसीमा के अन्तर्गत ही चलायें ताकि वाहन को आकस्मिक स्थिति में आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके लिये निर्धारित गति सीमा के संकेतक सड़क पर प्रदर्शित होते हैं। ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है वही अत्यन्त धीमी गति में वाहन चलाने से यातायात का प्रवाह बाधित होता है। निर्धारित गति से अधिक गति पर वाहन सचांलित पाये जाने पर चालान/जुर्माने का प्राविधान है। चालक लाइसेंस को न्यूनतक 3 माह हेतु निलम्बित किया जायेगा।

✓ किसी निर्माण स्थल/स्कूल/अस्पताल के सामने से गुजरते समय किसी भी चालक को 25 कि0मी0 प्रति घंटा से अधिक या सड़क सकेंतक में निर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति पर यान को नहीं चलाना चाहिए।

- **मोबाईल का प्रयोग**—वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाईल फोन के प्रयोग करने से चालक का ध्यान बंट जाता है जिससे उनकी जोखिमो की पहचान तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता धीमी हो जाती हैं। मोबाईल फोन कई तरीके से चालक का ध्यान सड़क मार्ग से हटाकर उसके द्वारा की जा रही बातचीत पर केन्द्रित कर देता है जिससे दुर्घटना की संभावना चार गुना बढ जाती है।

वाहन चलाते समय चालक द्वारा मोबाईल का प्रयोग करने पर चालान/जुर्माने के साथ ही मोबाईल फोन को 24 घंटे तक जब्त किये जाने का प्राविधान है। चालक लाइसेंस को न्यूनतक 3 माह हेतु निलम्बित किया जायेगा।

- **नशे का सेवन कर वाहन को चलाना** – एल्कोहल (शराब) के अतिरिक्त कई नशीले पदार्थ एवं औषधियों का सेवन वाहन संचालन के समय चालक के ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। शराब/मादक द्रव्यों का नशा डर को कम करता है और जोखिम लेने को प्रेरित करता है। नशे के प्रभाव में मानव शरीर तत्काल प्रतिक्रिया नही कर पाता, इन सभी वजहों से दुर्घटनाएं होती हैं तथा ये घातक साबित होती है। नशे में वाहन को संचालित करते पाये जाने पर चालान/जुर्माने के साथ–साथ कारावास का प्राविधान है। साथ ही लाईसेंस के विरूद्ध कार्यवाही का प्राविधान भी है।

अन्य विशेष नियम

- **रास्ते का अधिकार** – हमने पूर्व के अध्यायों में **रूकिय** तथा **रास्ता दीजिये** के संकेतको तथा स्टॉप लाईन के विषय में जाना है। जो मुख्यतः चौराहों, गोल चक्कर या जंक्शन पर प्रदर्शित होते हैं। सड़क के चौराहों या सड़क जंक्शन जहाँ रूकने का संकेत प्रदशित है या रूकने की रेखा चिन्हित की गयी ह तथा रास्ता देने का संकेत प्रदर्शित किया गया है वहॉ पर चालक को यान धीमा करके पहले से चल रहे यातायात को रास्ता देना चाहिए। ऐसे स्थानों पर सदैव दायी ओर से आ रहे वाहन को पहले रास्ते का अधिकार होता है।

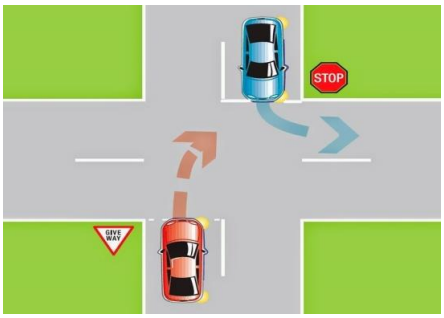

- **नाबालिग(18वष कम) को वाहन नहीं चलाना चाहिए**–मोटरयान अधिनियम की धारा 199 (ए) के अधीन किसी नाबालिग/किशोर द्वारा वाहन चलाये जाते पाये जाने पर किशोर तथा संरक्षक या वाहन स्वामी को 03 वर्ष तक का कारावास तथा 25000 रू0 जुर्माना से दंण्डित किये जाने का प्रावधान है। साथ ही वाहन का पंजीयन एक वष के लिये रद्द किया जा सकता है एवं ऐसा किशोर/नाबालिग शिक्षार्थी लाईसेंस के लिये 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक पात्र नहीं होगा।
- वाहन को हमेशा सड़क के बांयी ओर रखते हुये चलायें।
- वाहन चलाना सीखते समय वाहन के शीशों में आगे व पीछे का निशान बना होना अनिवार्य है तथा साथ में प्रशिक्षित चालक का होना अनिवार्य है।
- एम्बूलेंस/फायर/आपातकालीन वाहनों को पहले रास्ता दें।
- बच्चों/बुजुर्गों/दिव्यागों के सड़क पार करने पर पहले उन्हें पार करने दें।

- वाहन के शीशों पर किसी भी प्रकार की काली/रंगीन फिल्म नहीं लगायें यह नियम विरूद्ध है।
- वाहन में किसी भी प्रकार की नाम/पदनाम की पट्टिका, प्रतीक चिन्ह, स्टीकर, हूटर तथा अनाधिकृत बत्ती का प्रयोग नियम विरूद्ध है।

अन्य विशेष सावधानियां

- **टायर से संबधित सावधानियां** – दुर्घटना से बचाव के लिये अधिक घिसे टायर/कटे–फटे /खराब टायरों का प्रयोग न करें। टायरों में हवा का दबाव निर्धारित मात्रा में ही रखें।
- **मिरर का प्रयोग** –वाहन के साइड मिरर, रिफ्लेक्टर मिरर ठीक स्थिति में होने आवश्यक है। पीछे से आने वाले वाहन की स्थिति जानने/वाहन को रिवर्स करने के लिये वाहन पर लगे साईड/रियर व्यू मिरर का प्रयोग करना चाहिये।
- **ब्रेक्स** – यात्रा शुरू करने से पूव वाहन के हैंड ब्रेक्स की जांच अवश्य करनी चाहिये। साथ ही समय–समय पर मैकेनिक को ब्रेक्स चैक कराते रहना आवश्यक है। आकस्मिक स्थिति के अतिरिक्त अचानक ब्रेक्स न लगायें।
- वाहन को खड़ा करने के बाद उसे छोड़ने से पूर्व हैंड ब्रेक्स का प्रयोग अवश्य करें।
- पर्वतीय मार्गों पर वाहन को खड़ा करते समय हैंड बक के साथ ओट लगाया जाना आवश्यक है।
- वाहन का इंजन बंद किये बिना वाहन से बाहर न निकलें।
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर वाहन को विपरीत दिशा/रिवर्स में न चलाएं।
- व्यस्तसड़क पर वाहन को पार्क न करें निर्धारित स्थान/पार्किंग स्थल पर ही वाहन को खड़ा करें।
- वाहन को चलाते समय सामने वाले वाहन से उचित दूरी बनाये रखें।
- ढलान पर इंजन ऑफ कर वाहन नही चलाऐं।

विशेष परिस्थितियों में वाहन चलाते समय सावधानियां

सड़क पर चलते समय सड़क के विषय में जानकारी होना आवश्यक है । सड़क पर सुरक्षा हेतु प्रशासन द्वारा चेतावनी एवं निर्देशात्मक संकेतको तथा सड़क अंकन के माध्यम् से सड़क के विषय में जानकारी प्रदर्शित की जाती है जिसका पालन करते हुये वाहन का सुरक्षित संचालन किया जा सकता है। किन्तु सड़क पर कभी–कभी ऐसी भी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब थोड़ी सी सावधानी रख कर हम दुर्घटना से बचाव कर सकते हैं । आईये कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियों को समझें ।

1. **सड़क की दशा खराब होने पर** – मौजूदा समय में तकनीकी ने वाहनों की रफ्तार को बढाया है तो वही वाहनों की तेज रफ्तार दुर्घटना का प्रमुख कारण भी बनी है। सड़क की दशा खराब होने पर वाहनों की तेज गति दुर्घटना का कारण बन सकती है। अतः निम्नलिखित दशाओं में गाड़ी की गति कम कर देनी चाहिए –

- जब सड़क उबड़–खाबड़, गढ्ढों वाली या घुमावदार हो।
- जब सड़क की सतह उखड़ी हुई हो।
- सड़क पर बरसात के दौरान मुख्यतः रेतीली या चिकनी मिट्टी की परत होने की दशा म।
- सड़क पर पशु मौजूद होने पर।

2. **धूल, धुएं या धुंध की स्थिति होने पर** –सर्दी तथा बरसात एवं धूल भरी आंधी का मौसम होने पर वातावरण में धुएं, धुंध या धूल की अधिकता हो जाती है जिससे सामने की दृश्यता में कमी आ जाती है। यातायात के कुछ सामान्य नियम हमें ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित वाहन संचालन के विषय में जानकारी प्रदान करतें है जैसे –
   - विशेष रूप से बड़े और लंबे वाहन जो धूल का गुब्बार उड़ाते हुये चल रहे हों तथा आप उनके पीछे वाहन चला रहे हों तो ऐसे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाते हुये तब तक ओवर टक न करें जब तक कि वातावरण में धूल कम न हो जाय।
   - वातावरण में धूल के कारण दृश्यता कम होने पर सामने से यदि कोई वाहन आपको, आपके अधिक नजदीक आता जान पड़े तो ऐसी स्थिति में वाहन को सड़क के बाईं ओर सुरक्षित रूप से जितना अधिक हो सके रोक कर उस वाहन को गुजरने दें।
   - धुंध की स्थिति में वाहन के फॉग लैंप तथा हैड लैंप को जलाकर वाहन का संचालन करें। ऐसी परिस्थिति में सड़क पर चल रहे यातायात से सुरक्षित दूरी बनाते हुये ही वाहन को संचालित करें।

3. **पहाड़ पर चढाई करने/चढ़ने वाले यान को प्राथमिकता देना** – पहाड़ी और खड़ी सड़कों पर जहॉ सड़क पर्याप्त रूप से चौड़ी न होने के कारण दोनों तरफ के वाहन एक साथ बिना व्यवधान पहुॅचाए चढ़ाई पार करने में सक्षम नहीं होते, ऐसे में नीचे उतरने वाले वाहन चालक को –
   - सड़क के बाई ओर वाहन को खड़ा करना चहिए तथा,
   - पहले ऊपर की ओर आगे बढ़ने/चढ़ने वाले वाहन को पार करने की अनुमति देनी चाहिए।

4. **गहरे या तेज बहते पानी में से वाहन चलाकर ले जाना** – वाहन को पानी के बहाव को काटते या विपरीत चलाकर ल जाना जोखिम भरा होता है विशेषतः बरसात में नदी, नालों, रप्टों आदि से होकर गुजरते समय वाहन चालक द्वारा बरती गयी असावधानी गंभीर दुर्घटना का कारण बनती है। अतः कुछ ऐसे सामान्य नियमों को समझना आवश्यक है जो ऐसी परिस्थिति में वाहन के सुरक्षित संचालन में सहायक हो सकते हैं –

- वाहन को पानी में उतारने से पहले पानी को गहराई को जानकारी लेना अतिआवश्यक है।
- ऐसे स्थान जहाँ पर पानी की गहराई वाहन के फर्श, या ईंजन के आधार तक ही हो उसी स्थान से वाहन को पानी से गुजारना चाहिए।
- पानी में वाहन को धीमी गति म रखते हुये ही पार करना चाहिए।
- पानी को पार कर लेने के पश्चात् यह अवश्य जांच लें कि वाहन के ब्रेक्स सही तरह से कार्य कर रहे हैं अथवा नही।

5. **सड़क पर जानवर/पशु होने की स्थिति में** – गॉव तथा जंगल के बीच से होकर गुजरने वाले रास्तों/सड़क मार्ग में मुख्यतः रात्रि या कम रोशनी के समय जानवर/पशु के अचानक वाहन के आगे आ जाने पर दुर्घटना होना सामान्य घटना होती जा रही है। ऐसे स्थानों पर वाहन चालक की असावधानी से दुर्घटना होने की अधिक संभावना होती है जिसमें चालक के साथ–साथ जानवर/पशु भी प्रभावित होते है जो पर्यावरण के लिये गंभीर हानि है। अतः ऐसी परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक तथा धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए।

6. **सड़क पर भारी वाहनों को क्रॉस करते समय** – सड़क पर भारी वाहनों को क्रॉस करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखें –

   - भारी वाहनों से हमेशा उचित दूरी बनाए रखें ताकि चालक आपको पिछले या साइड के शीशों से देख सके।
   - भारी वाहनों के अधिक नजदीक चलने पर ब्लाइंड स्पाट बनते हैं जहॉ से सामने की दृश्यता बहुत कम हो जाती है जिससे सामने से आ रहे तथा साथ चल रहे वाहनो को देख पाना संभव नहीं हो पाता जिससे ओवरटेक करने की स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना होती ह।
   - भारी वाहन को ओवरटेक करने के पश्चात् पुनः अपनी लेन में वापस आते समय भारी वाहन से सुरक्षित दूरी रखते हुये ही लेन में आयें।

7. **बिना यातायात सिग्नल वाले चौराहों पर बरती जाने वाली सावधानियां** –

   ऐसे चौराहों और जंक्शनों पर जहॉ यातायात सिग्नल नहीं होते हैं वहॉ चौराहे के नजदीक पहुॅचकर वाहन की गति को धीमी कर दाईं ओर से आ रहे वाहन को पहले रास्ते देना चाहिए।

8. **गोल चक्कर पर अपनाई जाने वाली सावधानियां**–

   - गोल चक्कर पर प्रवेश करते समय, गोल चक्कर पर पहले से उपस्थित यातायात को पहले रास्ते का अधिकार होगा।

   - गोल चक्कर के भीतर लेन बदलते समय चालक संकेत प्रदर्शित करें।

यह भी जानें –

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 (सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 21) के अन्तर्गत निम्न अभियोगों में वाहन का चालान होने पर संबधित चालक के लाईसेंस को कम से कम 03 माह के लिये निरर्हित (डिस्क्वालिफाई) तथा पतिसंहृत (रिवॉक) करने के निर्देश दिये गये हैं।
   - वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना।
   - निर्धारित गति सीमा से अधिक गति (ओवर स्पीड) में वाहन चलाना।
   - रेड लाईट जंप करना।
   - वाहन में ओवर लोडिंग करना।
   - माल वाहन में यात्री ढ़ोना या वहन करना।
   - नशे की हालत में वाहन चलाना (संबधित चालक के विरूद्ध प्रॉसिक्यूशन की कार्यवाही एवं चालक को पुलिस के हवाले किये जाने की कार्यवाही की जायेगी)
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निम्न अभियोग में वाहन का चालान होने पर संबधित चालान के प्रशमन/निस्तारण से पूर्व सम्बन्धित चालक को सड़क सुरक्षा नियमों के सम्बन्ध में 02 घण्टे की काउंसलिंग/जानकारी प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं –
   - सीट बैल्ट का प्रयाग न करना।

उत्तराखण्ड राज्य में मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधित) के अधीन विभिन्न धाराओं में निर्धारित प्रशमन शुल्क

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 418/ix-1/53/2019 देहरादून दिनांक 24 सितंबर 2019 के द्वारा संशोधित मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन विभिन्न धाराओं में निम्न प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है–

क्र. स.	धारा	अपराध का विवरण		निर्धारित प्रशमन शुल्क (रूपये में)
1	177	अपराधो के लिये साधारण उपबंध	प्रथम अपराध के लिये	500
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	1500
2	178(1)	स्टेज कैरेज में बिना टिकट यात्रा करना		500
3	178(3)	ठेका वाहन के परमिट धारक या चालक द्वारा संचालन करने से या सवारी ले जाने से मना करना	दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	50
			अन्य वाहन	500
4	179(1)	प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशों/आदेशों का उल्लंघन		2000
5	179(2)	प्रवर्तन अधिकारी को गलत सूचना देना या तथ्य छिपाना		2000
6	180	अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने के लिये देना (बिना लाईसेंस)		2500
7	181	धारा 3/4 के उल्लंघन कर वाहन चलाना (बिना लाईसेंस)		2500
8	182(1)	चालन अनुज्ञप्ति धारण/प्राप्त करने हेतु अनर्ह होने पर वाहन चलाना, लाईसेंस हेतु आवेदन करना		5000
9	182(2)	परिचालक अनुज्ञप्ति धारण/प्राप्त करने हेतु अनर्ह होने पर वाहन परिचालक के रूप में कार्य करना, लाईसेंस हेतु आवेदन करना		5000
10	182(ए)(4)	वाहन में बिना अनुमति परिवर्तन करना (वाहन स्वामी द्वारा)		5000
11	182 (ख)	धारा 62 (क) का उल्लंघन (वाहन की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, ओवर हैंग मानक से अधिक होना)		5000
12	183(1) (एक)	तेज गति से वाहन चलाना	**मोटर साईकिल या हल्का मोटर यान**	2000
			अन्य वाहन	4000
13	184	वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करना	प्रथम अपराध के लिये	1000
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	5000
14	186	मानसिक/ भाारीरिक रूप से अक्षम होने पर वाहन चलाना	प्रथम अपराध के लिये	1000
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	2000
15	189	रेसिंग /गति का मुकाबला	प्रथम अपराध के लिये	5000
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	10000

16	**190(2)**	सड़कसुरक्षा/" शोर मानक/वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करना	प्रथम अपराध के लिये	2500
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	5000
17	**192**	बिना पंजीयन / बिना फिटनेस वाहन चलाना	प्रथम अपराध के लिये	5000
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	10000
18	**192(ए)**	बिना परमिट / परमिट की भार्तों का उल्लंघन (मार्ग क्षेत्र एवं उद्देश्य संबधी शर्तों का उल्लंघन)	प्रथम अपराध के लिये	5000
			द्वितीय एंव पश्चात्वर्ती अपराध के लिये	10000
19	**194(1)**	***ओवरलोड***	***हल्का वाहन***	2000
			अन्य वाहन	5000
		उक्त के अतिरिक्त क्षमता से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिये रू0 2000 रू0 पशमन शुल्क		
20	**194(1)(क)**	वाहन में माल बाहर निकला होना, ओवरहैंग होना/पीछे निकला होना	***हल्का वाहन***	2000
			अन्य वाहन	5000
21	**194(2)**	यान तुलवाने से मना करना		5000
22	**194(क)**	परिवहन यान में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना		200 रू0 प्रति सवारी
23	**194(ख) (1)**	बिना सीट बैल्ट पहने वाहन चलाना		1000
24	**194(ख) (2)**	14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बिना सीट बैल्ट/सेफ्टी बैल्ट के ले जाना		200
25	**194(ग)**	दुपहिया में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना		1000 **(03 माह हेतु डीएल निलंबित)**
26	**194(घ)**	बिना हेल्मेट		1000 **(03 माह हेतु डीएल निलंबित)**
27	**194(ड़)**	फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को रास्ता न देना		5000
28	**194(च) (ए)**	(1) बिना आवश्यक हॉर्न बजाना	प्रथम अपराध के लिये 1000	द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिये 2000
		(2) निषिद्ध क्षेत्र में हॉर्न बजाना		
		(3) वाहन का साईलेंसर कटा होना या गैसें निकलना		
29	**196**	बिना बीमा वाहन चलाना — दुपहिया/तिपहिया वाहन	प्रथम अपराध के लिये 1000	द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिये 2000
		बिना बीमा वाहन चलाना — अन्य वाहन	प्रथम अपराध के लिये 2000	द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिये 4000
30	**198**	वाहन में अनाधिकृत हस्तक्षेप करना		1000

अभ्यास प्रश्न

पश्न संख्या–01 विशेष परिस्थितियों में वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियों का वर्णन कीजिए।

पश्न संख्या–02 वाहन चलाने के लिए महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से लिखिए।

पश्न संख्या–03 लेन यातायात से आप क्या समझते? लेन यातायात कितने प्रकार का होता है समझाईये।

पश्न संख्या–04 निम्नलिखित विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालिए –

1. **सीट बैल्ट ।**
2. **हॉर्न का प्रयोग ।**
3. **लाईट/डिप्पर/फॉग लैंप का प्रयोग ।**
4. **गति सीमा।**
5. **नशे का सेवन कर वाहन को संचालित करना ।**
6. **पहाड़ पर चढाई करने/चढ़ने वाले यान को प्राथमिकता देना ।**
7. **गहरे या तेज बहते पानी में से वाहन चलाकर ले जाना ।**
8. **मोटरयान अधिनियम की धारा 199(a)।**

पश्न संख्या – 05 निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए –

1– वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग तथा वाहन चलाते समय मादक द्रव्यों/शराब का सेवन।

2– एकल खंडित रेखा तथा एकल ठोस रेखा ।

पश्न संख्या– 06 रास्ते का अधिकार को चित्र सहित विस्तार से समझाईये।

पश्न संख्या– 07 मोटर यान अधिनियम क्या है? अधिनियम में अपराध से सम्बन्धित किन्ही 6 धाराओं को लिखिए।

पश्न संख्या– 08 सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति ने किन अभियोगों के चालान होने पर चालक के लाइसेंस को न्यूनतम 3 माह के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए।

प्रश्न संख्या – 09 सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति ने किन अभियोगों में चालान होने पर कांउसलिंग के निर्देश दिए है।

सड़क पर गंदगी न फैलायें, कूड़ा वाहन में रखे कूड़ेदान अथवा सड़क के किनारें रखे कूड़ेदान में ही डालें।

अध्याय – 10

सड़क सुरक्षा – हमारे कर्तव्य एवं सरकार।

सुरक्षित सड़क तथा सड़क दुर्घटनाओं की दैनिक रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा के लिये यातायात नियमों और सड़क पर बरती जाने वाली सावधानियों का पालन करे। इसके लिये हम सभी को सड़क सकेतों, यातायात बत्ती, वाहन के प्रपत्रों और यातायात के नियम की जानकारी होना आवश्यक है। पूर्व के अध्यायों में हमने प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता के लिये नियमों एवं सावधानियों का विस्तृत अध्ययन किया है।

सड़क उपयोगकर्ता – वाहन चलाने वाला चालक, वाहन में सवारी करने वाला यात्री या सड़क पर चलने वाला पैदल यात्री सड़क उपयोगकर्ता में सम्मिलित है।

यातायात – हर श्रेणी के यान, पैदल चलने वाले यात्री और यात्रा के प्रयोजन के लिये (जैसे – जुलूस, पशुओं का झुंड) सड़क या राजमार्ग का उपयोग करने वाले उपरोक्त सभी यातायात में शामिल हैं।

वाहन चालक के प्रमुख कर्तव्य

प्रत्येक वाहन चालक को मोटरयान अधिनियम की धारा 118 के अधीन बनाये गये नियमों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। कुछ प्रमुख कर्तव्य एवं नियम निम्नलिखित हैं:–

(1) अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और साधारण जनता के प्रति कर्तव्य– किसी भी वाहन को सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से चलायें, रोकें या खड़ा न करें जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा या असुविधा होने की संभावना हो।

(2) सड़कों का उपयोग करना –

- वाहन को सदैव सड़क मार्ग के बांयी ओर जितना संभव हो चलाय तथा विपरीत दिशा से आने वाले यातायात को दांयी ओर से निकल जाने का अधिकार दें।
- किसी ऐसे मोड़ या पहाड़ी पर पहुॅचते समय जहॉ आगे का दृश्य बाधित है या स्पष्ट नहीं है, वाहन को अनिवार्य रूप से बाईं ओर रखते हुये चलायें तथा हॉर्न का प्रयोग करें।
- कभी भो सड़क पर रिवर्स में वाहन न चलायें सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जब सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष रूप से उसे ऐसा करने के लिये कहा जाय या यातायात संकेत स्थापित किया गया है ।

(3) सिग्नलों के संकेत –सड़क पर बांये या दांये मुड़ने, और अपनी लेन बदलने से पहले वाहन मे लगे इण्डीकेटर/डिपर या हाथ से संकेत कर प्रदर्शित करें।

(4) सुरक्षित दूरी बनाये रखना –सड़क पर आगे चलने वाले वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाये रखें ताकि यदि आगे चलने वाला वाहन अचानक धीमा हो जाता है अथवा रूक जाता है तो ऐसी स्थिति में वह सुरक्षित रह सके। अकारण ब्रेक लगाकर वाहन को न रोकें।

(5) आपातकालीन सेवाओं को रास्ता देना – एक आपातकालीन वाहन जब सड़क पर हो तब अन्य वाहन द्वारा उसे पहले रास्ता देना अनिवार्य है। आपातकालीन यानों के अन्तर्गत निम्न प्रकार प्राथमिकता दी जायेगी –

- अग्निशमन वाहन।
- एंबुलेंस।
- पुलिस सेवा का वाहन।
- राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये किसी ऐसे वाहन को जो आपदा प्रबंधन कार्य हेतु प्रयुक्त/संचालित हो ।

(6) दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण :– निजी वाहन के चालक हमेशाा अपने साथ मूल रूप में निम्नलिखित दस्तावेज रखेंगे –

- रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र।
- ड्राईविंग लाईसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।
- वाहन चालक परिवहन विभाग के अधिकारी, वर्दी में पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिये अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(7) चालक यान चलाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उसके पूर्ण नियंत्रण में हैं ओर वह यान चलाने के लिये पूर्णतः स्वस्थ एवं सक्षम है।

(8) वाहन चलाते समय चालक सीट बैल्ट अवश्य पहनेगा तथा अन्य यात्रियों के लिये सीट बैल्ट की सुविधा उपलब्ध होने पर उन्हें भी ऐसा करने को कहेगा।

(9) चालक वाहन में बैठे यात्रियों में 12 या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें पीछे की सीटों में बैठायेगा।

(10) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन में किसी यात्री द्वारा तेज आवाज में संगीत नहीं चलाया जायेगा।

(11) चालक वाहन चलाते समय डिजीटल गतिशील पिक्चरें (वीडियो) नहीं देखेगा लेकिन मार्ग प्रदर्शन (जी0पी0एस0) के उपकरण/मोबाईल का प्रयोग इस तरह करेगा कि ऐसा करते हुये वाहन चलाने से उसका ध्यान न भटके।

(12) वाहन में बैठते और उसमे से बाहर निकलते समय चालक अपनी और सवारियों की इस प्रकार देखभाल करेगा कि प्रत्येक सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

(13) चालक किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे वाहन को नहों चलाएगा जो उसके ज्ञान में दोषपूर्ण हो तथा ऐसे वाहन के चलाने से अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो ।

(14) मोटर साईकिल या तिपहिया वाहन चलाते समय चालक किसी अन्य वाहन को न पकड़ेगा या न ही धक्का देगा।

(15) वाहन खराब होने की स्थिति में – यदि वाहन चलाते समय उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तब जितनी जल्दी संभव हो चालक वाहन को सड़क से दूर ले जाने का प्रयास करेगा।

(16) सड़क पर खराब वाहन को न हटाये जाने की स्थिति में अन्य वाहन चालको को सतर्क करने के लिये वाहन के निकट या आस–पास परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखेगा तथा वाहन की चेतावनी लाईटें चालू करेगा।

❖ **यह भी जानें –**

- **खतरनाक पदार्थो की ढुलाई पर प्रतिबंध।**

परिसंकटमय माल वाहन के अतिरिक्त किसी अन्य मोटर यान में किसी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है। जैसे (डीजल, पैट्रोल, कैरोसिन, एल0पी0जी0, रसायन आदि।

- **<u>वाहन से किसी वस्तु या सामान का उठा होना या निकलना।</u>**

वाहन में रखी गयी वस्तु या सामान व्यवस्थित प्रकार से रखी जानी चाहिए तथा उसके ढांचे से अधिक आगे–पीछे या ऊॅची नहीं निकली होनी चाहिए। ऐसा करना प्रतिबंधित है।

<u>वाहन दुर्घटना होने पर चालक/सवारी के कर्तव्य</u>

➢ दुर्घटना में शामिल चालक या सवारी यातायात बाधित हाने की दशा में दुर्घटना स्थल सहित वाहन का चित्र खींच कर वाहन को जितनी जल्दी संभव हो सड़क से दूर किनारे पर स्थानांतरित कर देंगे तथा आसपास परावर्ती यातायात त्रिकोण रखकर चेतावनी लाईटें जला देंगे।

- यदि किसी को चोट लगी है तब तुरंत चिकित्सा सहायता और पुलिस को बुलायेंगे।
- चालक तथा सवारियां दुर्घटना की जांच में पुलिस के साथ सहयोग करेगे।

❖ सड़क दुर्घटना होने पर घायलों को दिया जाने वाला उपचार

- अधिकांशतः सड़क दुर्घटना होने पर चाटिल/घायल व्यक्ति को समय से आवश्यक फर्स्ट–एड/उपचार न मिलने पर उसकी हालत और गंभीर हो जाती है कभी–कभी मृत्यु भी। किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल के लिये चोट लगने के बाद का **पहला घंटा (गोल्डन ऑवर)** बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रथम घंटे में समुचित चिकित्सा सहायता देकर घायल व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अतः दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति की मदद करने से घबरायें नहीं बल्कि घायल को आवश्यक फर्स्ट–एड (प्राथमिक उपचार) देते हुये नजदीकी अस्पताल ले जाने में मदद करें व 108(आकस्मिक सेवा) को सूचना दें। पुलिस सहायता हेतु 112 डायल करें।

- अगर दुर्घटना में किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रॉड आदि फँसी हुई है/हेलमेट पहना है तथा अन्दर से खून निकल रहा है तो उसे निकालने की कोशिश कभी नहीं करें, बल्कि घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करें।
- सभी वाहनों में फर्स्ट–एड किट रखना अनिवार्य है। जिसमें अलग–अलग साईज की पट्टिया, चिपकने वाले बैण्डेज, तिकोनी बैण्डेज, घाव साफ करने के लिये सामान जैसे– रूई, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैची, चिमटी, चिपकने वाली टेप, दस्ताने आदि।

❖ गुड सेमेरिटन की सुरक्षा के लिए दिशा–निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद के लिये आगे आने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न से बचाव एंव उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उददेश्य से भारत सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के द्वारा सड़क पर किसी घायल अथवा पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने वाले गुड सेमेरिटन जो एक बाई स्टैण्डर या राहगीर हो सकता है, के बचाव के लिये पुलिस, अस्पताल और अन्य सभी प्राधिकरणों को महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जो निम्नलिखित हैं–

- कोई भी बाई स्टैण्डर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, जहाँ उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा तथा उसे तुरंत जाने की अनुमति दे दी जायेगी, सिवाय प्रत्यक्षदर्शी के जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जायेगा।
- बाई स्टैण्डर या गुड सेमेरिटन किसी सिविल या आपराधिक दायित्व के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।
- सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद को आगे आने एवं अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा बाई स्टैण्डर या गुड सेमेरिटन को उचित ईनाम/मुआवजा दिया जायेगा।

- बाई स्टैण्डर या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति की सहायता के लिये पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचित करता है तो उसे अपने नाम तथा व्यक्तिगत विवरण देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।
- गुड सेमेरिटन का नाम और सम्पर्क विवरण जैसी व्यक्तिगत सूचना को बताया जाना स्वैच्छिक तथा वैकल्पिक बनाया जायेगा।
- उन लोक अधिकारियों के विरूद्ध संबधित सरकार द्वारा अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाही की जायेगी जो किसी बाई स्टैण्डर या गुड सेमेरिटन को अपना नाम अथवा व्यक्तिगत विवरण देने के लिये बाध्य करेंगे अथवा धमकायेंगे।
- यदि कोई बाई स्टैण्डर जिसने स्वैच्छिक रूप से उल्लेख किया है कि वह उस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी है तथा जाँच पड़ताल के प्रयोजनों के लिये उसकी जाँच किया जाना अपेक्षित है तो उस गुड सेमेरिटन से एक ही बार पूछताछ की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी बाई स्टैण्डर या गुड सेमरिटन को बाध्य अथवा धमकाया न जाय।
- सदर्भित व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी है, से पूछताछ के दौरान विडियो कॉन्फ्रैंसिंग की जायेगी।
- कोई भी पंजीकृत एवं सार्वजनिक निजी अस्पताल बाई स्टैण्डर अथवा गुड सेमेरिटन से पंजीकरण और भर्ती लागतों की भुगतान की मांग नहीं करेगा जब तक कि वह घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा संबंधी न हो। घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जायेगा।

❖ तोषण योजना (सोलेशियम स्कीम) 1989

मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अज्ञात वाहन से टक्कर मार कर भाग जाने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबध में व्यवस्था दी गयी है जिसे तोषण योजना 1989 कहा गया है। इस योजना में उन मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में प्रतिकर दिलाने की व्यवस्था है, जहॉ यह पता न हो कि दुर्घटना किस मोटर यान से हुई है। इसकी आवश्यकता इसलिये हुई है कि जहॉ दुर्घटना करने के पश्चात् चालक भाग जाये वहां आवेदक दुर्घटना एवं यान संबंधी विवरण व उस व्यक्ति का नाम पता जो दुर्घटना के समय यान चला रहा था, देने में असमर्थ होता है। इसके अधीन टक्कर मारकर भागने संबधी मोटर दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने पर क्षतिपूर्ति का प्राविधान है।

- अज्ञात वाहन से टक्कर की स्थिति में मृत्यु होने पर रूपये 25000 एवं गम्भीर चोट लगने पर रूपये 12,500 की नियत राशि प्रतिकर के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।
- तोषण योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रकरणों में प्रतिकर के मामलों के निस्तारण हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
- सड़क दुर्घटना में टक्कर मारकर भागने की घटना में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मुआवजा हेतु संबधित उपजिलाधिकारी (जिनके क्षेत्र में दुघटना घटित हुई है) के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जायेगा।

❖ सड़क सुरक्षा हेतु प्रयास

भारत सरकार या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH), सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये नीतियां तैयार करता है। इस मंत्रालय का कार्य देश में सड़क परिवहन को विनियमित करने तथा सड़क सुरक्षा के परिदृश्य में सुधार लाने के लिये व्यापक नीतियां बनाना है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वर्ष 2014 में भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के सड़क सुरक्षा से संबधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित सड़क सुरक्षा नियमों के आंकलन एवं निगरानी हेतु सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा की जाती है। समिति द्वारा सड़क सुरक्षा को बढाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमो लाने के लिये संबधित राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं तथा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशा एवं केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों द्वारा संबधित निर्देशों के अनुपालन की निगरानी की जाती है। सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जारी किये गये प्रमुख दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैं –

(1) प्रत्येक राज्य में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जायेगा। सड़क सुरक्षा परिषद तथा समितियों की निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा की जाती है। जिससे इस परिषद, समितियों के माध्यम् से कार्ययोजना बनाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके। इसके लिये उत्तराखण्ड राज्य में निम्नवत समितियों का गठन किया गया है –

- मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है जिसमें परिवहन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, गृह विभाग आदि विभागों के सचिव सम्मिलित हैं।
- माननीय परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है ।
- समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।

(2) शिक्षा एवं जागरूकता :– शिक्षा एवं जागरूकता के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं तथा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा की जानकारी एवं जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुपालन में राज्य के संबधित विभागों यथा–परिवहन, पुलिस, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों एवं विभिन्न स्थानीय परिवहन कंपनियों/स्वय सेवी सस्थाओं के सहयाग से शिक्षा एवं जनजागरूकता हेतु स्कूलों में सड़क सुरक्षा से संबधित जागरूकता कार्यक्रम, चालकों के लिये निशुल्क हैल्थ कैंप, नेत्र परीक्षण शिविर जैसे कार्यक्रमों का वर्ष भर आयोजन किया जाता है।

(3) प्रवर्तन कार्यों के सुदृढीकरण एवं यातायात नियमों के अनुपालन के लिये माननीय समिति द्वारा परिवहन एवं पुलिस विभाग को कठोर प्रवर्तन कार्यवाही हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये है –

- सड़क सुरक्षा समिति द्वारा चौपहिया वाहनों में सीटबैल्ट के प्रयोग तथा दुपहिया वाहन में चालक/सहचालक के (बी0एस0आई0 मार्क) हेलमेट प्रयोग न किये जाने पर चालान करने तथा चालान के निस्तारण से पूर्व अनिवार्य रूप स दो घंटे की सड़क सुरक्षा कार्यशाला में प्रतिभाग करना।

- सड़क सुरक्षा समिति द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19 (सपठित केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 21) के अन्तर्गत निम्न अभियोगों में वाहन का चालान होने पर संबधित चालक के लाईसेंस को कम से कम 03 माह के लिये निरर्हित (डिस्क्वालिफाई) किया जाये।

  - वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना।
  - निर्धारित गति सीमा से अधिक गति (ओवरस्पीड) में वाहन चलाना।
  - रेड लाईट जंप करना।
  - वाहन में ओवर लोडिंग करना।
  - माल वाहन में यात्री ढ़ोना या वहन करना।
  - गलत दिशा में वाहन संचालित करना।
  - नशे की हालत में वाहन चलाना (संबधित चालक के विरूद्ध प्रॉसिक्यूशन) की कार्यवाही एवं चालक को पुलिस के हवाले किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) आकस्मिक सहायता एवं सुविधा हेतु माननीय समिति द्वारा एंबुलेंस सहित एक समर्पित सामान्य टेलिफोन नम्बर वाले 24x7 के कॉल सेंटरों की सहायता से आपातकालीन चिकित्सा सेवायें विकसित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस समय उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 108 के माध्यम से ऐंबुलेंस सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

(5) सुरक्षित सड़कों की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु मा0 समिति द्वारा लोकनिर्माण विभाग, एनएचएआई, बीआरओ को निर्देश दिये गये हैं जिसके लिये राज्य में परिवहन, पुलिस एवं कार्यदायी संस्था की संयुक्त टीम द्वारा राज्य की सड़कों पर दुर्घटना से संबधित अतिसंवेदनशील स्थलों (ब्लैक स्पॉट) तथा अन्य दुर्घटना संभावित स्थलो को चिन्हित कर सुधारीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

- **ब्लैक स्पॉट क्या है**– किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर का वह भाग जिस पर विगत 03 कैलेण्डर वर्षो में 05 या 05 से अधिक सड़क दुर्घटनाऐं हुई हों अथवा दुर्घटना होने पर 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो।

(6) सुरक्षित वाहन हेतु माननीय समिति द्वारा वाहनों की फिटनेस में गुणवत्ता लाने हेतु भारत सरकार को समय–समय पर निर्देश दिये गये है जिसके लिये भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से **ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन**, **ड्राईविंग ट्रैक्स**, **आईडीटीआर** की स्थापना राज्यों में की जा रही है। साथ ही व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों में सड़क सुरक्षा हेतु **गति नियंत्रक डिवाईस**,

सार्वजनिक सेवा यानों में **व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस** और **आपातकालीन बटन** (वीएलटी) लगाना अनिवार्य किया गया है।

- **ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन**– वाहनों की कम्प्यूटरीकृत स्वस्थता परीक्षण हेतु।
- **ड्राईविंग ट्रैक्स**– चालक अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) जारी करने से पूर्व ड्राईविंग टेस्ट लेने हेतु।
- **आईडीटीआर**– उत्तराखण्ड राज्य में इन्स्टि्ट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना जनपद देहरादून के झाझरा में को गयी है। जहॉ चालकों को प्रशिक्षित किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न संख्या – 1. निम्नलिखित को संक्षेप में समझाईयें –

(a) सड़क संकेतक (b) ट्रैफिक सिग्नल (c) सड़क के नियम

प्रश्न संख्या – 2. वाहन में रखे जाने वाल प्रपत्रों को विस्तार से लिखिये?

प्रश्न संख्या – 3. वाहन चालक के प्रमुख कर्तव्य लिखिये?

प्रश्न संख्या – 4. सड़क दुर्घटना होने पर वाहन चालक तथा सवारियों के कर्तव्य लिखिये?

प्रश्न संख्या – 5. गुड सेमेरिटन के बचाव के लिये क्या दिशा–निर्देश दिये गये हैं ?

प्रश्न संख्या – 6. तोषण योजना 1989 क्या है? इस योजना में पीड़ित के लिये क्या प्राविधान है?

प्रश्न संख्या – 7. सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये किये जा रहे सरकारी प्रयासों को समझाईये?

प्रश्न संख्या – 8. मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में अपराध एवं प्रशमन शुल्क के प्राविधान को लिखिये?

प्रश्न संख्या – 9. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

(1) वाहन संचालन सम्बन्धी दस्तावेज एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण।

(2) आपातकालीन सेवाओं को रास्ता देना।

(3) सड़क सुरक्षा समिति।

(4) शिक्षार्थी चालन अनुज्ञप्ति एवं स्थायी चालन अनुज्ञप्ति।

(5) गोल्डन ऑवर।

प्रश्न संख्या – 10. यातायात नियमों पर विस्तृत निबंध लिखिए।

प्रश्न संख्या – 11. निम्नलिखित के अर्थ लिखिए ।

(1) ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन ।

(2) ड्राईविंग ट्रैक्स ।

(3) आईडीटीआर ।

(4) ब्लैक स्पॉट।

(5) मॉर्थ (MORTH)